आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब

सहयोग राशि
30/-₹

अगस्त 2022

# क्रान्ति

मासिक

## अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या स्वच्छंदता?

# DILKUSHA NURSING HOME PVT LTD









94 A, Dilkusha Street, Circus Avenue, Kolkata - 700017
Ph: 033-22803639, 22874318, 22901971

www.kanti.in

**संपादक**
शिब्ली अरसलान
editorkantimasik@gmail.com

**प्रबंधक**
नईम ख़ान
+91 9891160829

**सहयोग राशि**
एक प्रति 30/- रु॰ एक वर्ष 350/- रु॰
दो वर्ष 670/- रु॰ तीन वर्ष 950/- रु॰
चार वर्ष 1200/- रु॰ पांच वर्ष 1400/- रु॰
आजीवन रु॰ 4000/-
सऊदी अरब और खाड़ी के देशों के लिए 110/- रियाल
यूरोप व अमेरिका के लिए 40/- US डॉलर

ख़रीदार बनने, एजेंसी लेने, प्रचार-प्रसार एवं प्रबंधकीय मामलों के लिए सम्पर्क करें :

**कार्यालय :**
कान्ति मासिक, डी-314, दावत नगर,
अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर,
ओखला, नई दिल्ली-110025

**हेल्पलाइन न॰**
+91 8920589292

**Account Detail**
**NAME : KANTI**
**A/C NO : 0990839195**
**IFS CODE : IDIB000J029**
**TYPE : CURRENT**
**BANK : INDIAN BANK**
**BRANCH : JAMIA MILLIA ISLAMIA**
**NEW DELHI - 110025**

चेक / ड्राफ्ट 'कान्ति' के नाम से बनवाएं

मुद्रक एवं प्रकाशक मुहम्मद अहमद द्वारा दावत ट्रस्ट (रजि॰), डी-314 दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नई दिल्ली-110025 से प्रकाशित एवं भारत ऑफ़सेट प्रेस, 2035, क़ासिम जान स्ट्रीट, बल्लीमारान, दिल्ली - 110006 से मुद्रित।
फ़ोन: 9818799223
**संपादक: शिब्ली अरसलान**

संस्था की लिखित अनुमति के बिना सम्पूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित है।

वर्ष 32 अंक 02 अगस्त 2022

## आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब




# कान्ति मासिक

## इस अंक में

**मूल प्रश्न** 04
वास्तविक शांति के उपाय
शिब्ली अरसलान

**चिंतन** 07
मानव-एकता के आधार
सैयद जलालुद्दीन उमरी

**सौंदर्य बोध** 11
मूल स्वभाव की पहचान
डॉ॰ अब्दुल रशीद अगवान

**मुख्य स्तंभ** 15
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या स्वच्छंदता?
ऐसी बानी बोलिए...
सुफ़ियान अहमद

**विवेचना** 19
विरोध और विवेक
डॉ॰ प्रदीप कुमार यादव

**समाधान** 21
आज़ादी की सही अवधारणा
यूसुफ़ करज़ावी

**कविता** 23
पुष्प की अभिलाषा
माखनलाल चतुर्वेदी

**समसामयिक** 24
पतन और पेशे का फ़र्क़
संपादन प्रभाग

**ज्वलंत** 27
न्यायतंत्र का मखौल
सुफ़ियान अहमद

**विशेष** 29
स्वतंत्रता दिवस पर विशेष
आज़ादी के अग्रदूत
नईम अलहिन्दी

**आर्थिकी** 31
विदेश क्यों जा रहा है वैध धन?
संपादन प्रभाग

**सेहत** 34
जंक फूड्स से हो जाएं सावधान
संपादन प्रभाग

**करियर** 36
ऑफ़-बीट कोर्सेज : करियर के नए विकल्प
संपादन प्रभाग

**लघुकथा** 38
मुद्दा क्या है? एजेंडा क्या है?

**सद्भावना** 39
दुबे का कुआं मजीद का पैसा
रामधनी द्विवेदी

**कहानी** 44
पापी पेट
सुभद्रा कुमारी चौहान

**आख़िरी पन्ना** 48
प्रत्यक्ष और प्रमाण
मुहम्मद इक़बाल मुल्ला

मूल प्रश्न



# वास्तविक शांति के उपाय



शिब्ली अरसलान

मौजूदा दुनिया पर एक विहंगम दृष्टि डालने मात्र से इसका सहज अंदाज़ा हो जाता है कि वर्तमान में हर तरफ़ अशांति और असंतोष का वातावरण है। इस अशांति और असंतोष की वजह से विश्व का हर देश और समाज विभिन्न प्रकार की समस्याओं से त्रस्त और ग्रस्त है। अमन-चैन विलुप्त होता जा रहा है। व्यक्तिगत तौर पर भी प्रायः लोगों का मन विकल और अशांत है। सच्चाई तो ये है कि देश और समाज की अशांति के पीछे लोगों का विकल मन और शांत अंतरात्मा है। जहां आदमी की अंतरात्मा अमन व शांति की दौलत से ख़ाली हो, वहां सामूहिक और सामाजिक तौर पर शांति, संतोष और सलामती का माहौल नहीं बन सकता।

आज हर तरफ़ मानव शांति के उपाय और विश्व शांति के सुझाव पर बात हो रही है। विश्व शांति सूचकांक प्रकाशित हो रहे हैं, शांति और सौहार्द के हवाले से देशों की रैंकिंग हो रही है। (गत माह प्रकाशित ग्लोबल पीस इंडेक्स-2022 के अनुसार, 163 देशों की सूची में भारत 135वें पायदान पर है।) मगर अशांति के कारण पर बात नहीं हो रही। बढ़ रहे असंतोष और बद-अमनी की फ़िज़ा की जड़ में क्या है? इसकी पड़ताल और खोज नहीं हो रही।

थोड़ी गहराई से पड़ताल करने पर इस अशांति और असंतोष के निम्न तीन मूल कारण समझ में आते हैं।

1. शांति और संतोष के मज़बूत आधार का न होना।

2. न्याय का लोप होना।

3. मानव-मानव के बीच ऊंच नीच अर्थात सामाजिक असमानता का पाया जाना।

टिकाऊ शांति और स्थायी अमन के लिए सुदृढ़ आधार का होना अत्यंत अवश्यक है। समस्त नज़रियों और धर्मों में इस्लाम वो धर्म है जो सुदृढ़ आधारों पर शांति और सलामती स्थापित करने का इच्छुक रहा है। इसके लिए सब से पहले वो व्यक्ति की अंतरात्मा की गहराई में शांति का बीजारोपण करता है। 'अल्लाह अर्थात एक ईश्वर पर ईमान' शांति और संतोष का बीजारोपण है। ये शांति, स्थायी और सकरात्मक शांति है जो जीवन में संतोष और सफलता प्रदान करती है, ये शांति संतुलन और पारस्परिक अनुकूलन से फूटती है तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अनुशासन से फलती फूलती है। ये शांति इच्छाओं और भावनाओं के संयोजन से स्वतः प्रस्फुटित होती है, न कि जब्र, हिंसा और छल-कपट से। ये अमन व्यक्ति के अस्तित्व,उसकी सच्ची भावनाओं और जाएज़ इच्छाओं का आदर करता




है और इस तरह पारस्परिक सम्मान की फ़िज़ा से सौहार्द और शांति का वातावरण निर्मित होता है।

न्याय का लोप होना, सामूहिक और सामाजिक अशांति का प्रमुख कारण है। अंग्रेज़ी का स्लोगन है "No Justice,No peace" (न्याय नहीं तो शांति नहीं)। ये बिल्कुल सत्य वचन है, देश और समाज में अशांति के वातावरण के पीछे अन्याय की भूमिका आप ज़रूर पाएंगे। यही कारण है कि सभी धर्मों में न्याय की स्थापना पर बहुत ज़ोर है। इस्लाम का तो मुख्य उद्देश्य ही 'व्यक्तिगत और सामूहिक तौर पर अदल यानी न्याय क़ायम करना है'। मानव शांति और विश्व शांति की बात बिना न्याय और न्याय व्यवस्था की स्थापना के अधूरी है।

वास्तव में शांति के लिए ज़रूरी है कि इंसाफ़ का बोल बाला क़ायम हो और इंसाफ़ के लिए ज़रूरी है कि हर इंसान को बराबर का अधिकार दिया जाए। इस्लाम ने इस संसार में शांति क़ायम करने के लिए कुछ नियम और सिद्धातं दिए हैं। उनमें सबसे बुनयादी सिद्धांत है कि इस्लाम सारी इंसानियत को एक माता पिता की संतान बताकर विश्व को उस रिश्ते में पिरो देता है जो बराबरी के लिए ज़रूरी है, जहां कोई नस्लवाद न हो, कोई ख़ुद को ऊंचा न समझे, सब एक ही पायदान पर हों। ज़रा सोचिए कि क्या शांति वहां हो सकती है जहां हर कोई ख़ुद को दूसरे से बड़ा समझता हो?

**न्याय का लोप होना, सामूहिक और सामाजिक अशांति का प्रमुख कारण है। अंग्रेज़ी का स्लोगन है "No Justice,No peace" (न्याय नहीं तो शांति नहीं)। ये बिल्कुल सत्य वचन है, देश और समाज में अशांति के वातावरण के पीछे अन्याय की भूमिका आप ज़रूर पाएंगे। यही कारण है कि सभी धर्मों में न्याय की स्थापना पर बहुत ज़ोर है। इस्लाम का तो मुख्य उद्देश्य ही 'व्यक्तिगत और सामूहिक तौर पर अदल यानी न्याय क़ायम करना है'। मानव शांति और विश्व शांति की बात बिना न्याय और न्याय व्यवस्था की स्थापना के अधूरी है।**

क्या यह हो सकता है कि दूसरों को ख़ुद से हीन समझते हुए भी हम उनको बराबर मान लें? और क्या यह हो सकता है कि ऊंच नीच के साथ शांति क़ायम हो सके? कभी नहीं हो सकता। विश्व शांति के लिए सबसे ज़रूरी यही बात है कि ज़मीन पर बनाई हुई रेखाएं सिर्फ़ रेखाएं समझी जाएं, जब ऐसा हो पाएगा तभी ये ख़ुद को बड़ा समझने की कुरीत ख़त्म हो पाएगी और इसी के बाद आएगा वो दिन जब सारे इंसान बराबर समझे जा सकेंगे।

■■

# LIS (INDIA) CONSTRUCTION CO. PVT.LTD

## BUILDERS & DEVLOPERS



LIS India Construction Co. Pvt. Ltd. is a property developer operating in A-2,
SWATI APARTMENT, NEAR NAVNEET MOTORS, JUHU LANE, ANDHERI (W),MUMBAI



# मानव-एकता के आधार

चिंतन



सैयद जलालुद्दीन उमरी

मानव-एकता का पहला आधार यह है कि सारे मानव एक ईश्वर की रचना और उसके बंदे (दास) हैं। दूसरा आधार यह है कि उन सबका मूल एक है, इसलिए वह अपने समस्त बाह्य अन्तरों के बावजूद एक इकाई हैं। इस्लाम इन आधारों पर समस्त मानव-जाति के सभी वर्गों को जोड़ता है और इस मार्ग में जो संकीर्णताएं (पक्षपात) बाधक हैं उनको एक-एक करके दूर करता है। इस्लाम द्वारा प्रदत्त इन आधारों को मान लिया जाए तो मतभेदों के अंधेरे से एकता के सूर्य का उदय हो सकता है और जो राष्ट्र एवं समूह परस्पर संघर्षरत हैं वे मिल-जुलकर जीवन-यापन कर सकते हैं।

क़ुरआन ने बार-बार इस वास्तविकता पर प्रकाश डाला है कि मानव-जाति का आरंभ एक ही जीवन से हुआ है। उसी से उसका जोड़ा बनाया गया और फिर उन दोनों से उनकी नस्ल फैली। परिवार और गोत्र अस्तित्व में आए। राष्ट्रों और समूहों ने जन्म लिया और इन्सानी आबादी धरती के विभिन्न भागों और क्षेत्रों में फैलती चली गई। क़ुरआन में कहा गया है-

"ऐ लोगो, अपने प्रभु से डरो जिसने तुमको एक जीव से पैदा किया और उसी से उसका जोड़ा बनाया और उन दोनों से बहुत से पुरुष और स्त्री संसार में फैला दिए। उस अल्लाह से डरो जिसको माध्यम बनाकर तुम एक-दूसरे से अपने हक़ मांगते हो, और नाते-रिश्तों के संबंधों को बिगाड़ने से बचो। निश्चय ही अल्लाह तुम्हें देख रहा है।"

(क़ुरआन, 4:1)

यह इस बात की घोषणा है कि सारे मनुष्य वास्तव में एक ही मां-बाप की संतान हैं। वे एक-दूसरे के भाई हैं जो संसार के एक भाग से दूसरे भाग तक फैले हुए हैं। अल्लाह तआला ने उनके बीच बंधुत्व और भाईचारे का जो संबंध स्थापित कर दिया है उसे तोड़ने की



**“ऐ लोगो, अपने प्रभु से डरो जिसने तुमको एक जीव से पैदा किया और उसी से उसका जोड़ा बनाया और उन दोनों से बहुत से पुरुष और स्त्री संसार में फैला दिए। उस अल्लाह से डरो जिसको माध्यम बनाकर तुम एक-दूसरे से अपने हक़ मांगते हो, और नाते-रिश्तों के संबंधों को बिगाड़ने से बचो। निश्चय ही अल्लाह तुम्हें देख रहा है।” (क़ुरआन, 4:1)**

इस्लाम हरगिज़ अनुमति नहीं देता और इस दिशा में जो भी क़दम उठाया जाए उसका विरोध करता है। उसके निकट इस परिवार को उजाड़ने और क्षति पहुंचाने की प्रत्येक कोशिश बिगाड़ और उपद्रव के समान है। क़ुरआन ने हज़रत मूसा (अलैहि०) और फ़िरऔन के वृत्तांत का बहुत विस्तार से वर्णन किया है। फ़िरऔन ने अल्लाह से विद्रोह और अवज्ञा का तरीक़ा अपनाया और पूरी क़ौम (राष्ट्र) को वर्गों में विभाजित कर दिया। एक वर्ग शासक था और दूसरा शासित। अल्लाह तआला ने हज़रत मूसा (अलैहि०) के द्वारा इसे समाप्त किया, पीड़ितों एवं दलितों की सहायता की और अत्याचारियों को भूतल से मिटा दिया। क़ुरआन कहता है-

“वास्तविकता यह है कि फ़िरऔन ने धरती में सिर उठाया और उसके निवासियों को गिरोहों में विभक्त कर दिया। उनमें से एक गिरोह को वह अपमानित और कमज़ोर बनाकर रखता था, उसके बेटों की हत्या करता और उसकी बेटियों को जीता रहने देता था। वास्तव में वह बिगाड़ पैदा करने वाले लोगों में से था। और हम यह इरादा रखते थे कि दया करें उन लोगों पर जो धरती में अपमानित और कमज़ोर बनाकर रखे गए थे और उन्हें नायक बना दें और उन्हीं को वारिस बनाएं और धरती में उनको प्रभुत्व प्रदान करें और उनसे फ़िरऔन और हामान और उनकी सेनाओं को वही कुछ दिखलाएं जिनका उन्हें डर था।’’ (क़ुरआन, 28:4-6)

वर्ण, वंश और भाषा आदि की भिन्नता प्रकृति की निशानियां हैं। मनुष्य का दुर्भाग्य यह है कि उसने वर्ण एवं वंश, परिवार एवं गोत्र, राष्ट्र एवं देश और भाषा एवं शैली के अंतर को प्रकृति की निशानियां समझकर उनसे शिक्षा ग्रहण नहीं की बल्कि उन्हें सम्मान एवं अपमान और उच्चता एवं निम्नता का मानदंड बना लिया। हालांकि सम्मान एवं अपमान का संबंध रंग-रूप, रहन-सहन और बोलचाल से नहीं है, बल्कि ईमान व अमल (धारणा एवं व्यवहार) से है। जो व्यक्ति अपने आपको ईश्वर का बन्दा (दास) सिद्ध करे, उसकी अवज्ञा से डरकर जीवन व्यतीत करे और उसका कृपापात्र बनने की चेष्टा करे वही सम्मानित और सज्जन है। जो व्यक्ति इन गुणों से रिक्त है उसके लिए ईश्वर के यहां सम्मान का कोई स्थान नहीं है चाहे दुनिया वालों की दृष्टि में उसका स्थान कितना ही ऊंचा क्यों न हो। क़ुरआन ने अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में कहा है-

“ऐ लोगो, हमने तुमको एक पुरुष और एक स्त्री से पैदा किया और फिर तुम्हारी जातियां और बिरादरियां बना दी, ताकि तुम एक-दूसरे को पहचानो। वास्तव में अल्लाह की दृष्टि में तुममें सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित वह व्यक्ति है जो तुममें सबसे अधिक परहेज़गार है। निश्चय ही अल्लाह सब कुछ जानने वाला और ख़बर रखने वाला है।”

(क़ुरआन, 49:13)

क़ुरआन की इस आयत ने सम्मान एवं अपमान के सारे झूठे मापदंड समाप्त कर दिए। इसमें स्पष्टतः यह घोषणा की गई है कि जन्म के आधार पर किसी को किसी प्रकार की कोई श्रेष्ठता एवं उच्चता प्राप्त नहीं है।

राष्ट्रीय एवं जातीय अहंकार ने हमेशा दूसरे राष्ट्रों और दूसरी जाति वालों को समानता का पद देने से इन्कार किया और उनके साथ समता के व्यवहार की अनुमति नहीं दी। अल्लाह के रसूल मुहम्मद (सल्ल०) ने अपने अंतिम हज के अवसर पर जो अनुपम भाषण दिया था उसमें इस पर प्रबल प्रहार किया और मानव-एकता की घोषणा की। आप (सल्ल०) ने ऐलान किया-

"ऐ लोगो, सुन लो! निस्संदेह तुम्हारा प्रभु एक है और तुम्हारा बाप (भी) एक है। सुन लो, किसी अरबी को अजमी (ग़ैर-अरब) पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर, किसी गोरे को काले पर, और किसी काले को गोरे पर सिवाए तक़वा (ईशपरायणता) के और किसी आधार पर कोई श्रेष्ठता नहीं है।"

(मुसनद अहमद : 5, 411)

अमीरी और ग़रीबी के आधार पर भी मनुष्यों का विभाजन हुआ है। पूंजीपतियों ने मज़दूर और ग़रीबों को दबाए रखा और बुरी तरह उनका शोषण किया। इससे धीरे-धीरे सामन्तों और श्रमिकों के दो स्थायी वर्ग उत्पन्न हो गए और उनके बीच संघर्ष होने लगा। पूंजीपति, श्रमिक से अनुचित लाभ उठाना चाहता है और श्रमिक अपने अधिकार से अधिक की मांग करता है। बात इसी सीमा तक नहीं रुकी, बल्कि मनुष्य की आर्थिक स्थिति उसके सम्मान एवं अपमान का मापदंड बन गई। पूंजीपति ने, जो केवल अपनी पूंजी के द्वारा भोग-विलास करता है, समाज में सम्मान का स्थान प्राप्त कर लिया और जो बेचारा अपनी मेहनत-मज़दूरी से अपनी जीविका कमाता है उसे तुच्छ और नीच समझा जाने लगा। इस्लाम ने इन दोनों बातों का विरोध किया है। उसने एक ओर तो निर्धनता की समस्या का समाधान किया, पूंजीपतियों की सम्पत्ति में निर्धनों का अधिकार निश्चित किया, धन के संचय करने और ख़र्च करने पर नैतिक और वैधानिक प्रतिबंध लगाए।



इस प्रकार इस्लाम इन्सान के अन्दर यह विश्वास पैदा करता है कि सारे इन्सान ईश्वर के बन्दे और उसके ग़ुलाम हैं। वे सब एक परिवार के सदस्य हैं। जिनको मिल-जुलकर ईश्वर की इबादत का कर्त्तव्य निभाना है। वे एक हैं और एक ही काम के लिए पैदा किए गए हैं। ईश्वर की दृष्टि में न कोई नीच है और न कोई उच्च। सब की हैसियत समान है, इन्सानों के बीच भाषा, वर्ण, राष्ट्र और वतन की जो भिन्नता पाई जाती है उसकी कोई वास्तविकता नहीं है। ये कुछ छोटे-छोटे कारणों से उत्पन्न होती हैं।

कल क़ियामत के दिन इन्सान के भाग्य का निर्णय इन तुच्छ कारणों के आधार पर नहीं होगा, बल्कि उसके ईमान और कर्म के आधार पर होगा। वहां सम्मानित वह होगा जो ईश्वर का आज्ञाकारी है, जिसके अन्दर तक़वा (ईशपरायणता) पाया जाता है और जिसके कर्म अच्छे हैं। जो इन विशेषताओं से वंचित है उसे ईश्वर के प्रकोप से न कोई पद एवं उपाधि बचा सकती है और न कुलीनता। यह विश्वास ऊंच-नीच की सभी झूठी विशेषताओं को समाप्त कर देता है और सारे इन्सान अपने मतभेदों को भूलकर एक पंक्ति में खड़े हो जाते हैं। संसार के विभिन्न और संघर्षरत राष्ट्रों एवं समूहों को केवल इसी आधार पर जोड़ा जा सकता है। इसके अतिरिक्त उसकी एकता का और कोई साधन नहीं है। क्या संसार इसके लिए तैयार है? भविष्य ही इस प्रश्न का उत्तर दे सकेगा। ■■

“अल्लाह ने कोई बीमारी ऐसी नहीं बनाई जिसका उसने इलाज न बनाया हो।”

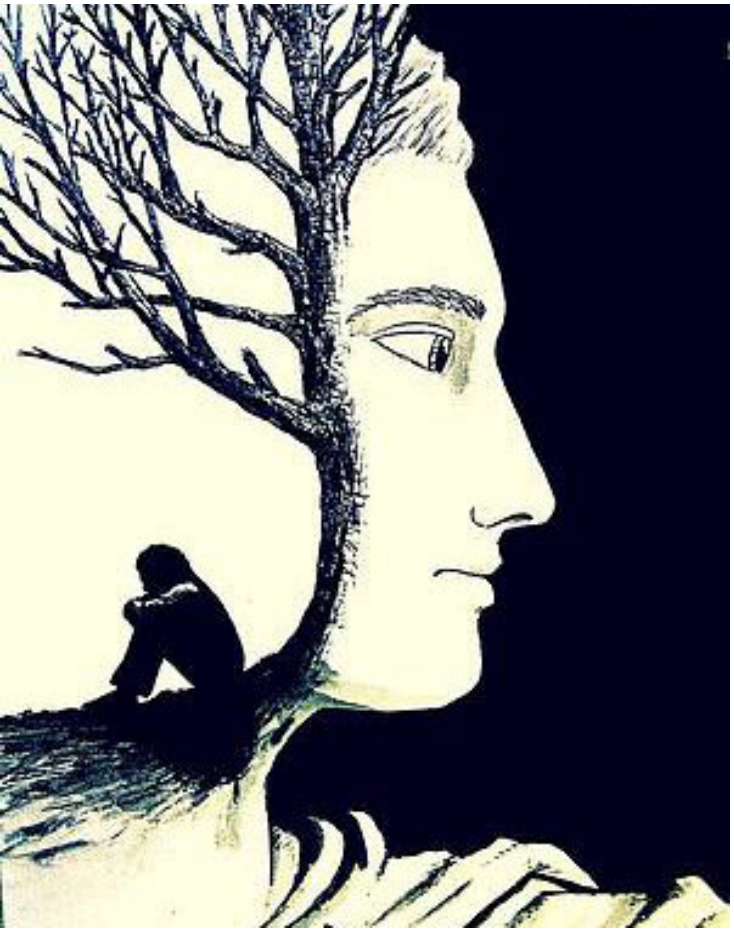
(हदीस : बुख़ारी-5678)



*A Well Wisher*

**AHMAD KHAN**

**MALAD, MUMBAI**



# मूल स्वभाव की पहचान

सौंदर्य बोध



डॉ. अब्दुल रशीद अगवान

मनुष्यों के लिए किसी जीवन-पद्धति पर विश्वास, अनुसरण और व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण है। यह उन्हें जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य देता है और उनके जीवन को सकारात्मक तरीक़े से बदल देता है। हालांकि, मानव समाज में यह विवाद पाया जाता है कि जीवन-पद्धति क्या और कैसी होनी चाहिए? इस संबंध में लोगों के दो प्रमुख समूह हैं। एक मनुष्य को जीवन का एक वांछित तरीक़ा प्रदान करने के लिए एक अलौकिक स्रोत में विश्वास करता है तो दूसरा मानता है कि ऐसा कोई भी स्रोत संभव नहीं है और मनुष्य को इस संसार में रहने के अपने तरीक़े ख़ुद खोजने होंगे।

नतीजतन, मानव आबादी को मोटे तौर पर धार्मिक और ग़ैर-धार्मिक आबादी में विभाजित किया गया है। प्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार, दुनिया में 86 प्रतिशत लोग रिलीजियस आबादी के रूप में धर्म के किसी न किसी रूप के अनुयायी होते हैं और बाक़ी लोग असम्बद्ध की श्रेणी में आते हैं यानी वे किसी रिलीजन को अपने जीवन के लिए आवश्यक नहीं मानते। ज़ाहिर है, मानव जाति के एक विशाल बहुमत के लिए, 'धर्म' प्रेरणा और आचार संहिता के स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण है। यहां एक बड़ा प्रश्नचिन्ह यह है कि क्या रिलीजन और धर्म एक ही धारणा के दो नाम हैं?

ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने रिलीजन को कुछ अलौकिक शक्ति या शक्तियों (जैसे कि एक ईश्वर या कई देवताओं) पर विश्वास या मान्यता के रूप में परिभाषित किया है जो आमतौर पर आज्ञाकारिता, श्रद्धा और पूजा में प्रकट होता है, इस तरह कि एक विश्वास से पैदा हुआ तरीक़ा जीवन की एक आचार संहिता और आध्यात्मिक या भौतिक सुधार प्राप्त करने के साधन के रूप में हो। शब्द 'रिलीजन' मौलिक मान्यताओं, रीति-रिवाजों और संस्कारों, इतिहास, मतों

और लोगों की सांस्कृतिक परंपराओं के एक सामान्य समावेश को दर्शाता है। जबकि 'धर्म' सामान्य रूप से कुछ मूलभूत सिद्धांतों और बुनियादी मूल्यों पर आधारित होता है, मगर व्यवहार में वह अपने अनुयायियों के जीवन में उत्पन्न होने वाले परिवर्तनों और सोच के विरोधाभास से काफ़ी हद तक प्रभावित हो जाता है।

मौलिक सिद्धांतों और बुनियादी मूल्यों पर ज़ोर देने से धार्मिक वर्गों को क़रीब लाया जा सकता है और उनमें परस्पर सहयोग पैदा किया जा सकता है, जबकि उनके ऊपरी स्वरूप पर ज़ोर देने से धर्म के नाम पर लोगों में विभाजन और संघर्ष हो सकता है। इस विचार को दो शब्दों, 'दीन' और 'धर्म' के तुलनात्मक विश्लेषण से समझा जा सकता है।

परंपरागत रूप से 'दीन' शब्द का यहूदी, ईसाई और मुसलमानों सहित सभी सेमिटिक लोगों के लिए महत्व है, जबकि धर्म शब्द का उपयोग अन्य परंपराओं जैसे कि ब्राह्मणी, बौद्ध, सिख, जैन, आदि में मौलिक है। यह विश्लेषण करना दिलचस्प होगा कि 'जीवन के रास्ते' को सही अर्थ देने में ये दोनों शब्द किस तरह महत्वपूर्ण हैं।

ब्राह्मणवादी परंपराओं में, धर्म को आम तौर पर एक प्राकृतिक व्यवहार के रूप में लिया जाता है जो कि धारण किया जाना चाहिए (धारयति इति धर्मः)। मगर यहां एक ग़लतफ़हमी यह पैदा होती है कि हर चीज़ जो मनुष्य धारण करता है वह धर्म है। वास्तविकता इसके उलट है। दर असल जब हम धर्म की अवधारणा को जगत की हर चीज़ पर लागू करते हैं तो देखते हैं कि संसार की हर चीज़ अपने अपने दायरे और स्वभाव के अनुसार काम कर रही है। इसे देख कर हम और चीज़ों की तरह धर्म को मनुष्य के आचरण से जोड़ देते हैं। संसार की हर चीज़ अपने स्वभाव से बंधी हुई है, मगर मनुष्य नहीं। उसका व्यवहार धर्म के अनुसार हो भी सकता और नहीं भी। इसलिए इस व्यवहार में धर्म है या नहीं इसे धर्म के कुछ लक्षणों द्वारा बेहतर समझा जा सकता है।

**मौलिक सिद्धांतों और बुनियादी मूल्यों पर ज़ोर देने से धार्मिक वर्गों को क़रीब लाया जा सकता है और उनमें परस्पर सहयोग पैदा किया जा सकता है, जबकि उनके ऊपरी स्वरूप पर ज़ोर देने से धर्म के नाम पर लोगों में विभाजन और संघर्ष हो सकता है। इस विचार को दो शब्दों, 'दीन' और 'धर्म' के तुलनात्मक विश्लेषण से समझा जा सकता है।**

इन लक्षणों के रूप में धर्म को मनुस्मृति (6:91) में इस तरह परिभाषित किया गया है-

धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः।
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्।।

अर्थात् धृति (धैर्य), क्षमा, दम (आत्म-नियंत्रण), अस्तेय (ईमानदारी), शौच (स्वच्छता), इन्द्रिय निग्रह (इन्द्रिय-नियंत्रण), धी (तर्क की भावना), विद्या, सत्य, अक्रोध (अपने क्रोध को नियंत्रित करने की क्षमता) ये धर्म के दस लक्षण हैं। यानी जिस धारणा या व्यवहार में ये लक्षण न पाये जाएं वह धर्म ही नहीं है या जितना इनका प्रभाव पाया जाए है बस उतना ही धर्म है।

याज्ञवल्क्य स्मृति (1:122) में मनुस्मृति की सूची में अहिंसा, दान और शांति को जोड़ा गया है और उसमें से कुछ अन्य को छोड़कर 9 विशेषताएं दी गई हैं। उनकी सूची इस प्रकार है-

अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः।

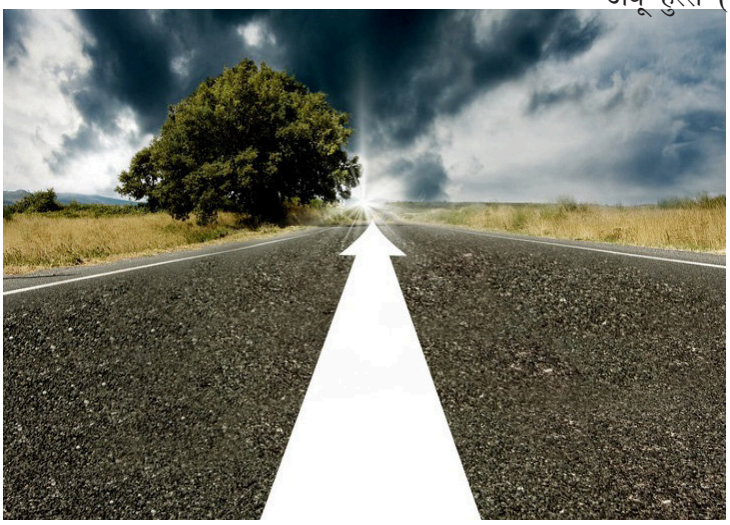
इस्लामी परंपराओं में 'दीन' शब्द अधिक लोकप्रिय है। हालांकि, बाइबल की विरासत में इसका ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व भी है। इस शब्द की व्युत्पत्ति इसके हिब्रू समानांतर 'दीन' या अरामी के पर्यायवाची शब्द 'दीना' से मानी जाती है। इस शब्द का हिब्रू भाषा में अर्थ 'क़ानून' या 'निर्णय' है। यह 'शक्ति' और 'व्यवस्था' को भी संदर्भित करता है। प्राचीन यहूदी क़ानूनी प्रणाली 'बेट दीन' के रूप में जिसे 'निर्णय का घर' कहा जाता है, पर आधारित है।

कुछ विद्वानों ने यह भी सुझाव

दिया है कि इस शब्द की उत्पत्ति जोरोस्ट्रियन शब्द 'दईना' से हुई है। द इनसाक्लोपीडिया ऑफ़ इस्लाम में 'दीन' पर अपने नोट में, लुई गार्डेट ने ''परिणाम, ऋण, दायित्व, प्रथा और दिशा'' जैसी अवधारणाओं के लिए 'दीन' शब्द के हेब्रिक और अरबी निहितार्थ का वर्णन किया है, जिसके कारण उन्होंने क़ुरआन के वाक्यांश 'यौमुल दीन' का अनुवाद यूं किया है, ''वह दिन जब ईश्वर प्रत्येक मनुष्य को एक दिशा देता है।''

'दीन' शब्द क़ुरआन में 98 बार आया है। इस शब्द का सटीक अनुवाद मुमकिन नहीं है और रिलीजन के रूप में इसकी व्याख्या केवल भ्रम पैदा करती है और विवाद को आमंत्रित करती है। प्रसिद्ध इस्लामिक विद्वान अबुल आला मौदूदी कहते हैं कि दीन ''पूरे जीवन का मार्ग है, जिनमें से समग्र कारक हैं- (1) संप्रभुता और सर्वोच्च अधिकार (2) इस तरह के अधिकार के लिए आज्ञाकारिता और समर्पण (3) इस व्यवस्था के प्रति विचार और कार्यप्रणाली और (4) व्यवस्था के प्रति निष्ठा और आज्ञाकारिता, या विद्रोह और उसके विरुद्ध प्रतिशोध की भावना को ध्यान में रखते फ़ैसला लेना।'' ऑक्सफोर्ड इस्लामिक स्टडीज ऑनलाइन के अनुसार, यह शब्द 'आदत,' 'रास्ता', 'हिसाब', 'आज्ञाकारिता,' 'निर्णय,' और 'इनाम' के लिए अरबी शब्दों का मूल है।

क़ुरआन केवल एकवचन में 'दीन' शब्द का उपयोग करता है। इसका बहुवचन उपयोग 'अदयान' एक कृत्रिम शब्द है। केवल एक स्थान पर क़ुरआन कहता है, ''मेरे लिए मेरा दीन और तुम्हारे लिए, तुम्हारा दीन।'' यहां भी इसका उपयोग एकवचन में ही है और इसे एक ही अवधारणा की दो अलग-अलग समझ के रूप में लिया जा सकता है। क़ुरआन सूचित करता है कि ईश्वर के लिए पसंदीदा 'दीन' इस्लाम है। यहां, कुछ मुस्लिम और ग़ैर-मुस्लिम विद्वान सोचने में यह ग़लती कर सकते हैं कि इस्लाम के नाम पर जो कुछ भी कहा जाता है और मौजूद है वह इस्लाम है। जबकि सच्चाई वही है जो कि क़ुरआन बयान करता है और हदीस जिसकी व्याख्या करती है।

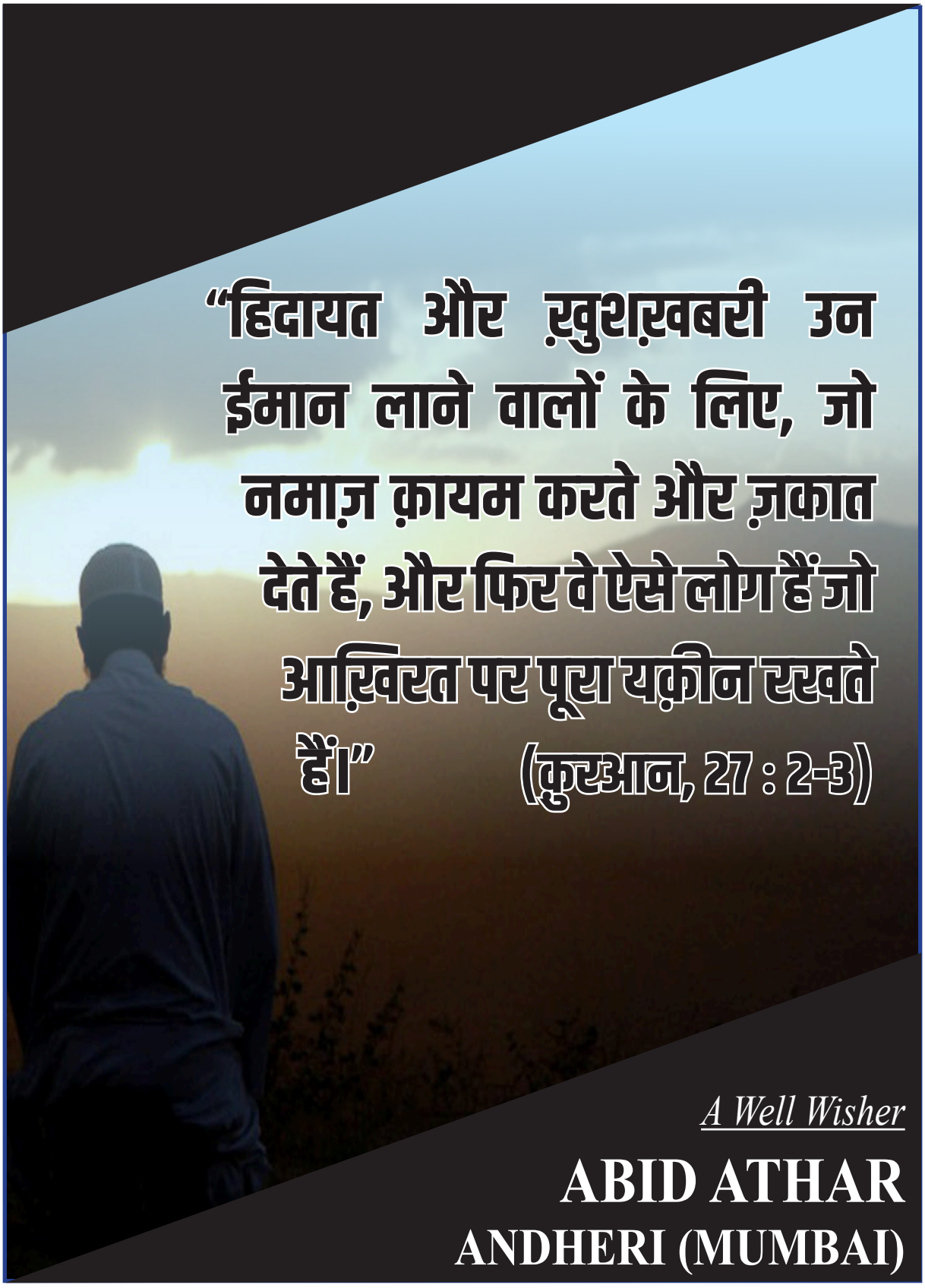


क़ुरआन शुरू से ही इस बात पर ज़ोर देता है कि अल्लाह एक सार्वभौमिक सत्ता है, रब-उल-अलमीन है, और यह कि इस्लाम उसी दीन का प्रतिनिधित्व करता है जो कि आदम के आगमन से जारी होकर आज भी सनातन रूप में मौजूद है और पूरे प्रकट दिव्य ज्ञान का सार है। क़ुरआन की आयत 2:4 में यह आवश्यक ठहराया गया है कि इस पुस्तक से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए यह ज़रूरी है कि पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) से पहले जो कुछ भी दिव्य ज्ञान संसार में आया था उस पर भी आस्था ज़रूरी है। क़ुरआन (2:136) ऐसे आस्थावानों को सलाह देता है कि वे कहें, ''जो कुछ इबराहीम और इस्माईल और इसहाक़ और जैकब और उनके वंशजों को और मूसा और ईसा को और (अन्य) दूतों को उनके प्रभु ने (दिव्य मार्ग के रूप में) दिया था हम उस पर आस्था रखते हैं। हम उनमें से किसी के बीच कोई अंतर नहीं करते हैं, और हम आज्ञाकारी (मुस्लिम) हैं।''

एक हदीस के कथन से दीन का अर्थ और अधिक स्पष्ट हो सकता है। अबू हुरैरा (रज़ि.) ने हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) का यह कथन उद्धरित किया है, ''दीन बहुत आसान है और जो भी अपने दीन में किसी तरह की अति करेगा, वह उसे जारी नहीं रख सकेगा। इसलिए किसी को अतिवादी नहीं होना चाहिए, लेकिन पूर्णता के निकट होने की कोशिश करनी चाहिए...।''

(बुखारी 1:2:38)

वास्तव में, यह कथन क़ुरआन में सीरात-ए-मुस्तकीम (सीधा रास्ता) या सवा-अस-सबील (समतल रास्ता) के रूप में दीन की अवधारणा की ही पुष्टी करता है। इस प्रकार, क़ुरआन दीन को नस्लवादी या संप्रदायवादी सोच के बजाय एक सार्वभौमिक विचार के रूप में प्रस्तुत करता है। क़ुरआन सूचित करता है कि दीन इंसान के मूल स्वभाव (फ़ितरत) को प्रकट करता है। ■■


"हिदायत और ख़ुशख़बरी उन ईमान लाने वालों के लिए, जो नमाज़ क़ायम करते और ज़कात देते हैं, और फिर वे ऐसे लोग हैं जो आख़िरत पर पूरा यक़ीन रखते हैं।" (कुरआन, 27 : 2-3)
A Well Wisher
ABID ATHAR
ANDHERI (MUMBAI)




# ऐसी बानी बोलिए...

मुख्य स्तम्भ



सुफ़ियान अहमद

अभिव्यक्ति सदैव ही मनुष्य के जीवन की महत्वपूर्ण आवश्यकता रही है। मानव सभ्यता की विकास यात्रा में चित्र, लिपि और अब आधुनिक समय में विभिन्न वैज्ञानिक तकनीकों ने अभिव्यक्ति के नए द्वार खोले हैं। अभिव्यक्ति ने जहां दुनिया भर में लोगों के आपसी व्यवहार को सरलता, सुगमता और वैचारिक आधार प्रदान किया, वहीं आज इन्हीं आधारों पर दरारें भी स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। हालांकि सभी स्वस्थ लोकतंत्र अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और घृणित भाषा पर प्रतिबंध के बीच स्पष्ट और सैद्धांतिक अंतर करते हैं, लेकिन आज के समय में विशेषकर हमारे देश भारत के संदर्भ में हमें पुनः इस बात पर सोचने को बाध्य होना पड़ता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर जो कुछ सामने आ रहा है उसे किस प्रकार से देखा जाना चाहिए?

अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर यदि बीते घटनाक्रमों पर नज़र डालें तो क्या यह प्रश्न नहीं उठता कि इसके पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता अपरिहार्य हो गई है? अभिव्यक्ति किस तरह की हो? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस सीमा तक हो? अभिव्यक्ति किसके लिए हो, अभिव्यक्ति कब और कहां हो? अभिव्यक्ति कितनी सार्थक हो? अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध हो या न हो? अभिव्यक्ति आज स्वतंत्र है या स्वच्छंद? अभिव्यक्ति की दिशा क्या हो? अभिव्यक्ति का संतुलन क्या हो? आज अभिव्यक्ति में दायित्व-बोध है या



# हेट स्पीच Vs फ्रीडम ऑफ स्पीच

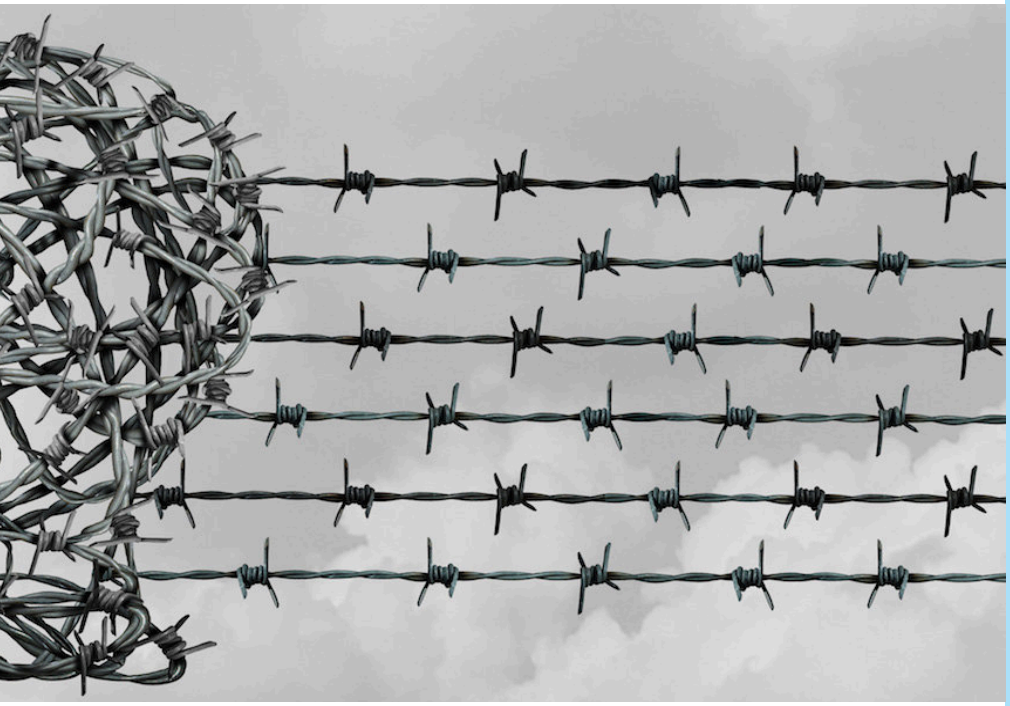
नहीं? अभिव्यक्ति की क़ीमत क्या है? ऐसे बहुत से प्रश्न वर्तमान में अभिव्यक्ति की आज़ादी के सही मूल्यांकन की मांग कर रहे हैं।

अभिव्यक्ति की आज़ादी हो, यह तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ दायित्व का बोध हो यह उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। आज बोलने की आज़ादी ने अधिकार के रूप में एक हथियार का रूप धारण कर लिया है। यदि यह हथियार बन गया है, तो अवश्य ही कुछ ग़लत भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ग़लत इस्तेमाल न हो इसका दायित्व किसका है? सीधी-सी बात है, जो अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर रहा है उसी का दायित्व है कि वह यह देखे कि वह क्या अभिव्यक्त कर रहा है और कैसे अभिव्यक्त कर रहा है। यदि वह अनुचित, अहितकर और विरोध के लिए विरोध की अभिव्यक्ति दे रहा है, आरोपों-प्रत्यारोपों के तहत झूठी अभिव्यक्ति दे रहा है, तो परिणाम कभी भी अच्छे नहीं निकल सकते।

किसी सूचना, भाव या विचार को बोलकर, लिखकर या किसी भी कलात्मक, यांत्रिक, माध्यमों से बिना किसी व्यवधान के अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहलाती है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि अनर्गल जो भी अभिव्यक्त किया जाए वह सब अभिव्यक्ति ही है। यदि वह समाज के अनुकूल या समाज-हित से न जुड़ा हो तो फिर वह अभिव्यक्ति नहीं बल्कि कुछ और है। उसका दायरा कुछ और है, उसकी दिशा कुछ और है। इसलिए भारतीय संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ उसकी सीमा अथवा दायरा भी तय करता है।

**प्रश्न नहीं उठता कि अभिव्यक्ति किस तरह की हो? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस सीमा तक हो? अभिव्यक्ति किसके लिए हो, अभिव्यक्ति कब और कहां हो? अभिव्यक्ति कितनी सार्थक हो? अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध हो या न हो? अभिव्यक्ति आज स्वतंत्र है या स्वछंद? अभिव्यक्ति की दिशा क्या हो? अभिव्यक्ति का संतुलन क्या हो? आज अभिव्यक्ति में दायित्व-बोध है या नहीं? अभिव्यक्ति की क़ीमत क्या है? ऐसे बहुत से प्रश्न वर्तमान में अभिव्यक्ति की आज़ादी के सही मूल्यांकन की मांग कर रहे हैं।**

भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 में मानहानि को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको समान रूप से मिलनी चाहिए और इसका प्रावधान हमारे संविधान में है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) के तहत सभी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गयी है। वैधानिक दृष्टि से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अब व्यक्ति का अधिकार है, लेकिन समय और परिस्थितियों के अनुरूप इस पर भी प्रतिबंधों का प्रावधान संविधान में वर्णित है।



वर्तमान में अभिव्यक्ति की आज़ादी ने अपना वास्तविक अर्थ और अभिव्यक्ति के दायित्व बोध को खो दिया है। अभिव्यक्ति के लिए वास्तव में व्यक्ति को बहुत ज़िम्मेदार और गंभीर होना होगा, कुछ भी अभिव्यक्त कर देने में अभिव्यक्ति नहीं बल्कि भड़ास है। भड़ास कभी भी सही दिशा को तय नहीं करती और न ही उसके परिणाम सुखद होते हैं। इसलिए यह बात बहुत महत्वपूर्ण जान पड़ती है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का दुरुपयोग न होने पाए।

यदि कोई व्यक्ति अभिव्यक्ति के नाम पर अनुचित, हिंसा, वैमनस्यता, असहिष्णुता, असमानता, झूठे अतार्किक बयान, झूठे तथ्य को सामने ला रहा है तो एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति भी यह स्वीकार नहीं कर पाएगा कि उसकी अभिव्यक्ति सार्थक और सही है और उसे अधिक बोलने दिया जाए।

अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता सबकी बराबर है, लेकिन प्रतिबंध कई दशाओं में अपरिहार्य हो जाते हैं। स्वतंत्रता जब 'स्वच्छंदता' का रूप धारण कर लेती है, तो यह समाज के लिए ख़तरे भी उत्पन्न कर देती है। एक ज़िम्मेदार नागरिक होने के नाते सभी को इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमारी अभिव्यक्ति कहीं किसी ख़तरे को तो जन्म नहीं दे रही है। कोई हमारी अभिव्यक्ति से आहत तो नहीं हो रहा है, किसी की अस्थाओं को चोट तो नहीं पहुंच रही है। जब इस अवस्था का बोध भीतर जागेगा तब ही व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आज़ादी के सही अर्थों का पता चल सकेगा।

लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर है कि वह नागरिकों को किस प्रकार से बहुमुखी विकास का अवसर देते हुए अपनी बात प्रस्तुत करने का भी अवसर देती है। इस दृष्टि से अभिव्यक्ति के साथ नैसर्गिक अभिव्यक्ति को जोड़कर देखना आवश्यक हो जाता है। नैसर्गिक अभिव्यक्ति राजनीतिक और सामाजिक दायित्व के बोध के साथ उभरती है।

इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि बोलने की आज़ादी अपना संतुलन न खोने पाए। ये संतुलन न तो सरकार तय कर पाएगी, न कोई एजेंसी, न कोई संस्था। यह संतुलन तो ख़ुद नागरिकों को पैदा करना होगा, वह भी एक दायित्व बोध के साथ। आज सोशल मीडिया से लेकर मुख्य धारा की मीडिया तक और तथाकथित धर्म गुरुओं से लेकर

## "अभिव्यक्ति में दायित्व बोध"

**अभिव्यक्ति की आज़ादी हो यह तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ दायित्व का बोध हो यह उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। आज बोलने की आज़ादी ने अधिकार के रूप में एक हथियार का रूप धारण कर लिया है। यदि यह हथियार बन गया है, तो अवश्य ही कुछ ग़लत भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ग़लत इस्तेमाल न हो इसका दायित्व किसका है? सीधी-सी बात है, जो अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर रहा है उसी का दायित्व है कि वह यह देखे कि वह क्या अभिव्यक्त कर रहा है और कैसे अभिव्यक्त कर रहा है। यदि वह अनुचित, अहितकर और विरोध के लिए विरोध की अभिव्यक्ति दे रहा है, आरोपों-प्रत्यारोपों के तहत झूठी अभिव्यक्ति दे रहा है, तो परिणाम कभी भी अच्छे नहीं निकल सकते।**

**आज सोशल मीडिया से लेकर मुख्य धारा की मीडिया तक और तथाकथित धर्म गुरुओं से लेकर राजनेताओं तक में अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर विकारों का होना साफ़ नज़र आता है। कभी संप्रदाय, धर्म और संस्कृति के पुनरुत्थान के नाम पर अनर्गल बयान दिये जाते हैं, तो कभी आरोपों-प्रत्यारोपों की बारिश की जाती है, जिससे राष्ट्र की धार्मिक-सांप्रदायिक अखंडता के दायरे टूटते हैं और परिणाम स्वरुप हिंसा अपना सिर उठाती है।**

राजनेताओं तक में अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर विकारों का होना साफ़ नज़र आता है। कभी संप्रदाय, धर्म और संस्कृति के पुनरुत्थान के नाम पर अनर्गल बयान दिये जाते हैं, तो कभी आरोपों-प्रत्यारोपों की बारिश की जाती है, जिससे राष्ट्र की धार्मिक-सांप्रदायिक अखंडता के दायरे टूटते हैं और परिणाम स्वरूप हिंसा अपना सिर उठाती है।

जब देश धर्म और संप्रदाय का नेतृत्व कर रहे लोगों को ही अपनी अभिव्यक्ति के दायित्व का सही बोध न होगा, तो फिर ऐसी दशा में देश के आम नागरिकों से इस संबंध में क्या आशा रखी जा सकेगी? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का यह अर्थ कभी नहीं लिया जाना चाहिए कि हम अपनी अभिव्यक्ति से विखंडन पैदा करके अपने जातिगत, धार्मिक और संगठनात्मक हितों को साध लें। ग़ैर-ज़िम्मेदार अभिव्यक्ति ने सदैव देश और समाज के लिए ख़तरों को उत्पन्न किया है। विवेकपूर्ण अभिव्यक्ति को ही वास्तविक अभिव्यक्ति के अंतर्गत देखा जा सकता है। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता के बीच ज़मीन-आसमान का अंतर है और इस अंतर को क़ायम रखना सरकार का कर्तव्य है। 'स्वतंत्र' में एक 'तंत्र' विद्यमान है जो किसी को भी 'स्वच्छंद' नहीं होने देता। स्वतंत्रता का सुख दूसरों का ख़याल करके चलने में है, जबकि 'स्वच्छंदता' अनुशासन की बाड़ तोड़कर चलती है। 'स्वच्छंदता' नियंत्रणहीन व्यवहार है, जोकि अराजकता का कारण बनती है।

स्वयं नागरिकों का भी यह दायित्व बनता है कि वे अपनी ज़िम्मेदारियों को समझें और अपनी बात विवेक सम्मत रखें। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मर्यादा रखते हुए बंधनों का पालन भी करें। यह बात सदैव याद रखें कि आपकी स्वतंत्रता वहां समाप्त हो जाती है, जहां से दूसरों को तकलीफ़ शुरू होती है। अभिव्यक्ति की आज़ादी की सार्थकता तभी तक है जब तक कि वह निर्माणकारी है न कि विध्वंसकारी। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार मिलना चाहिए न कि स्वच्छंदता की अनुमति। ■■



# विरोध और विवेक



विवेचना



डॉ. प्रदीप कुमार यादव

इन्सान अन्य सभी जीवों की तुलना में इसलिए श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उनके पास सोच-विचार करने की शक्ति है, साथ ही वे अपने विचारों तथा भावों को किसी भाषा या अन्य माध्यमों से अभिव्यक्त करने में समक्ष हैं। इन्सान अपने विचारो को सहेज कर आने वाले पीढ़ियों को सौपने में भी सक्षम है। मानव समाज में जहां विभिन्नताएं हैं, वहां स्वभाविक रूप से उनमें विचारों में भी अलग अलग राय हो सकती है। लगभग सभी लोकतांत्रिक देशों ने अभिव्यक्ति की आज़ादी को मौलिक आधिकार का दर्जा दिया है। राजशाही में इसकी अवहेलना की जाती थी, अत्याचार के ख़िलाफ़ बोलने वालों को डरा धमका कर चुप करा दिया जाता था, लेकिन आधुनिक लोकतांत्रिक समाज के समुचित विकास के लिए तथा नागरिकों को सर्वांगीण विकास के मौक़े उपलब्ध कराने में अभिव्यक्ति की आज़ादी की एक बड़ी भूमिका है। अन्य मौलिक अधिकारों की भांति इसके उल्लंघन की स्थिति में व्यक्ति कोर्ट जा सकता है।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र का बुनियादी आधार है। हमारा भारत एक लोकतांत्रिक देश है। संविधान नागरिकों को कई प्रकार के मौलिक अधिकार देता है, जिनमें समानता, स्वतंत्रता, धार्मिक आज़ादी और अभिव्यक्ति की आज़ादी मुख्य है।

हमारे मौलिक अधिकारों में अभिव्यक्ति की आज़ादी को शामिल किए जाने का सीधा सा अर्थ यह है कि हम अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। अपने ख़िलाफ़ हो रहे अन्याय का खुलकर विरोध कर सकते हैं, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी का एक दायरा है। हम मर्यादा में बने रहकर ही आवाज़ उठा सकते हैं।

अन्य संवैधानिक अधिकारों की भांति ही अभिव्यक्ति की आज़ादी के अधिकार के साथ भी कुछ उपबन्ध बनाए गए हैं, जो यह सीमा निर्धारित करते हैं कि किस हद तक इस अधिकार का उपयोग मर्यादापूर्ण है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 अपने नागरिकों को अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, मगर कुछ युक्तियुक्त निर्बंधनों के साथ। यदि

किसी की अभिव्यक्ति की आज़ादी का प्रभाव देश की एकता अखंडता और सम्प्रभुता को प्रभावित करने वाला हो अथवा सामाजिक सौहार्द, न्यायालय की अवमानना से जुड़ा हो, तो उसे प्रतिबंधित किया गया है। बोलने की आज़ादी के नाम पर किसी को गाली देने अथवा अपमानित करने की वकालत भारतीय संविधान नहीं करता है।

अभिव्यक्ति की आज़ादी रचनात्मक आलोचना करने के लिए दी गई है, न कि अविवेकपूर्ण और पूर्वाग्रह ग्रस्त होकर कुछ भी कहने के लिए। वर्तमान समय में इंटरनेट आधारित सामाजिक मंचों पर मनमाने बयानों, अविवेकपूर्ण, अशोभनीय और भड़काऊ टिप्पणियों आदि को लेकर लंबे समय से चिंता जतायी जाती रही है। इसे लेकर देश की अदालतें भी कुछ मौक़ों पर अपनी नाराज़गी ज़ाहिर कर चुकी हैं। नूपुर शर्मा मामले में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जेबी पारदीवाला की टिप्पणी इसका ताज़ा उदाहरण है। न्यायाधीश पारदीवाला ने नूपुर शर्मा को फटकार लगाते हुए कहा था कि उनके असावधानी भरे बयान की वजह से पूरा देश जल रहा है, इसके लिए उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए।

क़ानून की नज़र में रचनात्मक आलोचना आपत्तिजनक नहीं है, लेकिन किसी एजेंडे या दुर्भावना से प्रेरित बेलगाम टिप्पणियों को लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं माना जाता। यह ठीक है कि संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मगर इसका यह अर्थ कतई नहीं कि कोई किसी के भी बारे में मनमाने ढंग से कुछ भी बोल, लिख या कह दे। सामाजिक मंचों पर अक्सर बहुत सारे लोग अभिव्यक्ति की आज़ादी का बेजा फ़ायदा उठाने का प्रयास करते देखे जाते हैं। जबसे राजनीतिक दलों ने इंटरनेट आधारित सामाजिक मंचों का उपयोग अपने राजनीतिक प्रचार-प्रसार के लिए करना शुरू किया है, तब से वहां मनमानी कुछ अधिक ही बढ़ गई है। राजनीतिक प्रतिस्पर्धाएं, भाषा और अभिव्यक्ति की सारी मर्यादाओं को तोड़ती नज़र आती हैं। डिजिटल माध्यमों पर चल रहे समाचार चैनलों की ज़ुबानें भी बेलगाम होती जा रही हैं। हमारी त्रासदी यह है कि हमने कथित भावनाओं को विवेक से अधिक तरजीह दे दी है। विवेक की यह उपेक्षा हमें बहुत भारी पड़ रही है। हम अभी भी न तो भेदभाव के चुंगल से मुक्त हो पार रहे हैं, न सांप्रदायिकता के जाल से।



इस बात में कोई दो राय नहीं है कि विचारों का खुला प्रवाह विकास की राह खोलता है। अभिव्यक्ति की आज़ादी पर प्रतिबंध किसी विवेकशील समाज की पहचान नहीं है। जनतांत्रिक मूल्यों का तक़ाज़ा है कि हर नागरिक को अपनी सोच को प्रकट करने का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन जनतांत्रिक आदर्श हमें यह भी सिखाते हैं कि नागरिकों को अपनी बात कहने से पहले उसे विवेक के तराज़ू पर तोलना चाहिए।

अभिव्यक्ति की आज़ादी की सार्थकता, रचनात्मक आलोचना एवं विवेकपूर्ण विरोध में निहित है, न कि अविवेकपूर्ण ढंग से, निराधार, पूर्वाग्रह ग्रस्त होकर कुछ भी कहने, लिखने और छाप-दिखा देने में। बिना विवेक के की गई आलोचना समाज में विकृतियां ही पैदा करती है। इसलिए अभिव्यक्ति की आज़ादी का उपयोग रचनात्मक एवं निमार्णकारी ढंग से होना चाहिए न कि विध्वंसात्मक।

■■

**अभिव्यक्ति की आज़ादी की सार्थकता रचनात्मक आलोचना एवं विवेकपूर्ण विरोध में निहित है, न कि अविवेकपूर्ण ढंग से, निराधार, पूर्वाग्रह ग्रस्त होकर कुछ भी कहने, लिखने और छाप-दिखा देने में। बिना विवेक के की गई आलोचना समाज में विकृतियां ही पैदा करती है। इसलिए अभिव्यक्ति की आज़ादी का उपयोग रचनात्मक एवं निमार्णकारी ढंग से होना चाहिए न कि विध्वंसात्मक।**



# आज़ादी की सही अवधारणा

समाधान



डॉ. यूसुफ़ अल-करज़ावी

इन्सान के व्यक्तित्व के चौमुखी विकास के लिए यह ज़रूरी है कि उसे जीवन के हर क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की आज़ादियां हासिल हों। कुछ लोग आपत्ति करते हैं कि इस्लाम धर्म आज़ादी के ख़िलाफ़ है। सवाल उठता है कि आज़ादी के सिलसिले में इस्लाम की क्या विचारधारा है? अगर इस्लाम आज़ादी के हक़ में है, तो इस्लाम किस हद तक आज़ादी का समर्थक है और किस तरह की आज़ादी का समर्थन करता है?

आज़ादी के सिलसिले में इस्लाम की यह विचारधारा है कि वह आज़ादी का समर्थक और उसका रक्षक है। इन्सानों के सिलसिले में इस्लाम की यही विचारधारा है कि इन्सान जन्मजात आज़ाद है। यह आज़ादी अल्लाह (ईश्वर) ने उसे प्रदान की हुई है, जिसे कोई इन्सान उससे छीनने का हक़दार नहीं है। अतः हर इन्सान को अपने अक़ीदे (आस्था) की आज़ादी है, धर्म की आज़ादी है, सोचने समझने की आज़ादी है, राजनीतिक व सामाजिक आज़ादी है और इन सबसे बढ़कर अभिव्यक्ति की आज़ादी है। ये सारी आज़ादियां अल्लाह के द्वारा प्रदान की गई हैं और इस्लाम इन आज़ादियों का समर्थन और बचाव करता है।

इस सिलसिले में हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) का कथन नक़ल किया जा सकता है-''तुमने लोगों को कब ग़ुलाम बना लिया, हालांकि उनकी मांओं ने उन्हें आज़ाद पैदा किया था।'' और हज़रत अली (रज़ि.) ने यह कथन नक़ल किया है-''तुम किसी और के बन्दे न हो जाओ, हालांकि अल्लाह ने तुम्हें आज़ाद पैदा किया है।''

धर्म और आस्था की आज़ादी यह है कि हर इन्सान इस बात के लिए पूर्णतया आज़ाद है कि वह जिस धर्म को चाहे अपनाए। जिस विचारधारा को चाहे माने, यह आज़ादी उससे छीनी नहीं जा सकती। पवित्र क़ुरआन में हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) को संबोधित करते हुए कहा गया है-

''अगर तेरे रब की इच्छा यह होती (कि ज़मीन में सब ईमान वाले और आज्ञाकारी ही हों), तो ज़मीन के सारे वासी ईमान ले आए होते। फिर क्या तू लोगों को मजबूर करेगा कि वे ईमान वाले (मोमिन) हो जाएं? कोई

प्राणी अल्लाह की अनुमति के बिना ईमान नहीं ला सकता और अल्लाह का तरीक़ा यह है कि जो लोग बुद्धि से काम नहीं लेते वह उन पर गन्दगी डाल देता है।'' (क़ुरआन, 10:99-100)

एक अन्य स्थान पर क़ुरआन में कहा गया है-''दीन (धर्म) के मामले में कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं है।''

(क़ुरआन, 2:256)

पवित्र क़ुरआन की इस आयत के अवतरण की पृष्ठभूमि पर यदि विचार करें, तो बात और अधिक स्पष्ट हो जाएगी। अज्ञानकाल में यह होता था कि अरब के क़बीला औस और ख़जरज़ की जो औरतें औलाद से मायूस हो जाया करती थीं, तो वह मन्नत मांगती थीं कि अगर उनके यहां औलाद हुई, तो उसे यहूदी बनाएंगी और औलाद पैदा हो जाने के बाद वे औरतें ऐसा ही करती थीं। जब इस्लाम की रोशनी फैली, तो औस और ख़जरज़ के लोग भी इस्लाम में दाख़िल हुए, बाद में उन औरतों के शौहरों ने अपने यहूदी बच्चों को दोबारा इस्लाम में आने के लिए विवश किया।

इस्लाम और यहूदियत में लड़ाइयों के बावजूद ईश्वर ने इन लोगों को इस बात से मना किया कि वे किसी को ज़बरदस्ती इस्लाम क़बूल करने पर विवश न करें। यह है आस्था और धर्म की आज़ादी।

दूसरी आज़ादी जिसका इस्लाम समर्थक है वह है वैचारिक आजादी। ईश्वर ने इन्सानों को सोचने-समझने और अमल करने की आज़ादी दी है। क़ुरआन में कहा गया है-''इनसे कहो, ज़मीन और आसमानों में जो कुछ है उसे आंखें खोलकर देखो।'' (क़ुरआन, 10:101)

इस्लाम ने लोगों को इस बात की शिक्षा दी है कि लोग भ्रांतियों और ख़ुराफ़ात पर यक़ीन न करें, बल्कि ख़ुद भी सोच-विचार करें। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें और इसके बाद फ़ैसला लें।

इसी वैचारिक आज़ादी के नतीजे में ज्ञान की आज़ादी प्राप्त हुई। इसी आज़ादी के आधार पर उलमा हज़रात (विद्वान लोग) अनेक मामलों में एक-दूसरे से अलग-अलग राय रखते हैं। उलमा (विद्वानों) को इस बात की आज़ादी है कि वे दलील की बुनियाद पर कोई राय क़ायम करें। मतभेदों का होना इस्लाम की नज़र में बिल्कुल दोषपूर्ण नहीं है।

इसी तरह इस्लाम कुछ कहने और आलोचना करने की भी आज़ादी देता है, बल्कि कुछ अवसरों पर जहां मामला जनसरोकारों से संबंधित हो, तो कुछ कहना और आलोचना करना ज़रूरी होता है। इसीलिए इस्लाम ने भलाई को फैलाने और बुराई से रोकने को फ़र्ज़ क़रार दिया है। अतः जब कोई बुराई सामने ज़ाहिर हो या समाज में फ़साद का अंदेशा हो, तो आलोचना का अधिकार इस्तेमाल करते हुए उस फ़साद का निवारण करना चाहिए और इस सिलसिले में जो परेशानियां पेश आएं उन्हें हंसी-ख़ुशी बर्दाश्त करना चाहिए। क़ुरआन में कहा गया है-''नेकी का आदेश दो बुराई से रोको और जो मुसीबत भी पड़े उस पर सब्र कर।''

(क़ुरआन, 31:17)

इस्लाम इन्सानों की आज़ादियों का न केवल समर्थक है, बल्कि रक्षक भी है। इस्लाम हर व्यक्ति को पूर्णतया आज़ादी दिए जाने की बात करता है। ये अधिकारों की आज़ादियां हैं। ये वे आज़ादियां नहीं हैं, जिनका भोगवादी लोग दम भरा करते हैं और उन आज़ादियों को व्यक्तिगत आज़ादी या निजी जीवन से जोड़ते हैं और यह कि इन्सान व्यक्तिगत रूप से पूर्णतया आज़ाद है चाहे व्यभिचार करे, शराब पिये या कोई और गुनाह का काम करे। इस्लाम इस तरह के दुराचार का समर्थक नहीं है। इस्लाम उस आज़ादी का समर्थक नहीं है, जिसमें अपना और दूसरों का नुक़सान छिपा हो या जो आज़ादी तबाही या पतन की ओर ले जाती हो। और यह कि आपकी आज़ादी वहां ख़त्म हो जाती है जहां से दूसरों का नुक़सान शुरू होता है।

■■



कविता

# पुष्प की अभिलाषा

–: माखनलाल चतुर्वेदी :–

चाह नहीं, मैं सुरबाला के
गहनों में गूंथा जाऊं,
चाह नहीं प्रेमी-माला में बिंध
प्यारी को ललचाऊं,

चाह नहीं सम्राटों के शव पर
हे हरि डाला जाऊं,
चाह नहीं देवों के सिर पर
चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं,

मुझे तोड़ लेना बनमाली,
उस पथ पर देना तुम फेंक!
मातृ-भूमि पर शीश-चढ़ाने,
जिस पथ पर जावें वीर अनेक!

# पतन और पेशे का फ़र्क़



समसामयिक

संपादन प्रभाग

'वेश्यावृत्ति' एक अवैध गतिविधि नहीं है, बल्कि एक सम्मानजनक पेशा है। वेश्यावृत्ति या देह व्यापार को क़ानूनी जामा पहनाने को लेकर हाल आए सर्वोच्च न्यायालय के इस फ़ैसले ने इसे एक बार फिर चर्चा में ला दिया है। समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़े लोगों की इस बारे में अलग-अलग राय है और अपनी बात को सिद्ध करने तर्क भी हैं। यौनकर्म अपराध नहीं है और यौनकर्मी (सेक्स वर्कर्स) भी अन्य श्रमिकों की तरह ही समान सम्मान और सुरक्षा की हक़दार हैं। यह आदेश देकर सर्वोच्च न्यायालय ने एक प्रकार से वेश्यावृत्ति को भी 'पेशे' के रूप में मान्यता दे दी है। अदालत ने ये निर्देश संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का इस्तेमाल करते हुए जारी किए हैं। ये निर्देश तब तक लागू रहेंगे जब तक केंद्र सरकार क़ानून लेकर नहीं आती है।

वेश्यावृत्ति या देह व्यापार को एक वैध पेशे के रूप में मान्यता देने के चाहे कितने ही तर्क क्यों न दे दिए जाएं, लेकिन वास्तविकता यह है कि नैतिक, धार्मिक एवं सामाजिक रूप से हमारे देश में वैवाहिक संबंधों के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के यौन संबंधों को बुरा समझा जाता है। वेश्यावृत्ति भी इन्हीं बुरे संबंधों के अंतर्गत आती है। भारत में वेश्यावृत्ति या देह व्यापार को अभी भी 'अनैतिक देह व्यापार क़ानून' के तहत अवैध माना जाता है। यह एक दुखद स्थिति और मानवता का एक बड़ा अपमान है कि महिला के शरीर को एक वस्तु बना दिया जाए और इसके व्यापार

**वेश्यावृत्ति या देह व्यापार को एक वैध पेशे के रूप में मान्यता देने के चाहे कितने ही तर्क क्यों न दे दिए जाएं, लेकिन वास्तविकता यह है कि नैतिक, धार्मिक एवं सामाजिक रूप से हमारे देश में वैवाहिक संबंधों के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के यौन संबंधों को बुरा समझा जाता है। वेश्यावृत्ति भी इन्हीं बुरे संबंधों के अंतर्गत आती है। भारत में वेश्यावृत्ति या देह व्यापार को अभी भी 'अनैतिक देह व्यापार क़ानून' के तहत अवैध माना जाता है। यह एक दुखद स्थिति और मानवता का एक बड़ा अपमान है कि महिला के शरीर को एक वस्तु बना दिया जाए और इसके व्यापार को वैध क़रार दे दिया जाए।**



को वैध क़रार दे दिया जाए।

हमारे देश में देह व्यापार का कोई भी स्वरूप सामाजिक, नैतिक या धार्मिक रूप से स्वीकार नहीं है। ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसे वैध क़रार दिया जाना अपने स्वरूप में एक गंभीर बहस को जन्म देता है। एक सभ्य समाज में वेश्यावृत्ति या देह व्यापार को किसी भी प्रकार से स्वीकार्य नहीं माना जा सकता।

देह व्यापार चाहे वयस्क यौनकर्मियों की सहमति से हो या जबरन उन्हें इस पेशे में धकेला जाए, एक नैतिक अपराध है जो समाज के नैतिक ताने-बाने को नुक़सान पहुंचाता है। यह महिलाओं के लिए एक कलंक होने के साथ-साथ मानव गरिमा के भी ख़िलाफ़ है। इसे वैधानिक मान्यता देना हमारी नैतिक व्यवस्था के लिए घातक है। यह हमारे समाज में विवाह जैसी मज़बूत संस्था को कमज़ोर कर देगा। यह एक ऐसा अनैतिक व्यापार है जो पापों का अंबार, असाध्य रोगों का कारक और व्याभिचार से जुड़े अपराधों को जन्म देता है।

यह पेशा भोगवादी विचारधारा की देन है, जोकि नारी को एक भोग-विलास की वस्तु मानती है। आमतौर पर इस पेशे में महिलाओं को जबरन धकेला जाता है। इसे क़ानूनी मान्यता देने से उनका शोषण और बढ़ेगा। विश्व भर में वेश्यावृत्ति के काले बाज़ार पर नज़र रखने वाली संस्था ह्यूग स्कोप के अनुसार, भारत में क़रीब 30 लाख सेक्स वर्कर हैं।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के एक अध्ययन के अनुसार भारत में 68 प्रतिशत महिलाओं को रोज़गार के झांसे में फंसाकर वेश्यालयों तक पहुंचाया जाता है और 17 प्रतिशत शादी के वादे में फंसकर आती हैं। एचआईवी और एड्स पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम के 2016 के आंकड़ों के अनुसार, भारत में 6.5 लाख से अधिक सेक्स वर्कर्स हैं। यह सर्वविदित है कि ग़रीबी और धमकियों द्वारा उनमें से अधिकांश को इस पेशे में धकेला गया है या इसे अपनाने के लिए मजबूर किया गया है। इस पेशे को क़ानूनी मान्यता देने से उन लड़कियों और महिलाओं की स्थिति और ख़राब हो सकती है जिन्हें इस पेशे में आने के लिए मजबूर किया जाता है।

यह कैसी विडम्बना है कि आज हम नई पीढ़ी को सभ्य और सम्मानजनक रोज़गार देने के बजाय वेश्यावृत्ति जैसे कुत्सित कृत्यों को क़ानूनी औचित्य देकर उन्हें ऐसे अनैतिक कृत्यों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। हमें इस पेशे में लगी महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण देना चाहिए और उनके लिए रोज़गार के बेहतर अवसर पैदा किए जाने चाहिए न कि उनके इस अनैतिक पेशे को क़ानूनी मान्यता प्रदान

की जानी चाहिए।

वेश्यावृत्ति एक समस्या है। बेहतर होगा कि इस समस्या को स्वीकार किया जाए और उसका तत्काल उन्मूलन किया जाए। वेश्यावृत्ति के उन्मूलन के लिए ऐसे सभी संभव प्रयास किए जाने चाहिए जिससे इस व्यवसाय को बिल्कुल भी प्रोत्साहन न मिले। समाज की नैतिकता को किसी भी प्रकार से क्षति न पहुंचे और लोग यौन रोगों के दुष्प्रभाव से सुरक्षित रह सकें। हमारे देश में ऐसे बहुत से नैतिकताओं पर आधारित सुरक्षित एवं सुविधाओं वाले व्यवसाय मौजूद हैं, जहां महिलाओं के लिए रोज़गार के अवसर अपलब्ध कराए जाने चाहिए, जिन्हें चुनकर ऐसी महिलाएं अपना गुज़र-बसर आसानी से कर सकें।

भारत की सर्वोच्च अदालत पहले भी इस प्रकार के फ़ैसले दे चुकी है जो हमारे नैतिक मूल्यों और हमारे सामाजिक ताने-बाने को नुक़सान पहुंचाने वाले हैं।

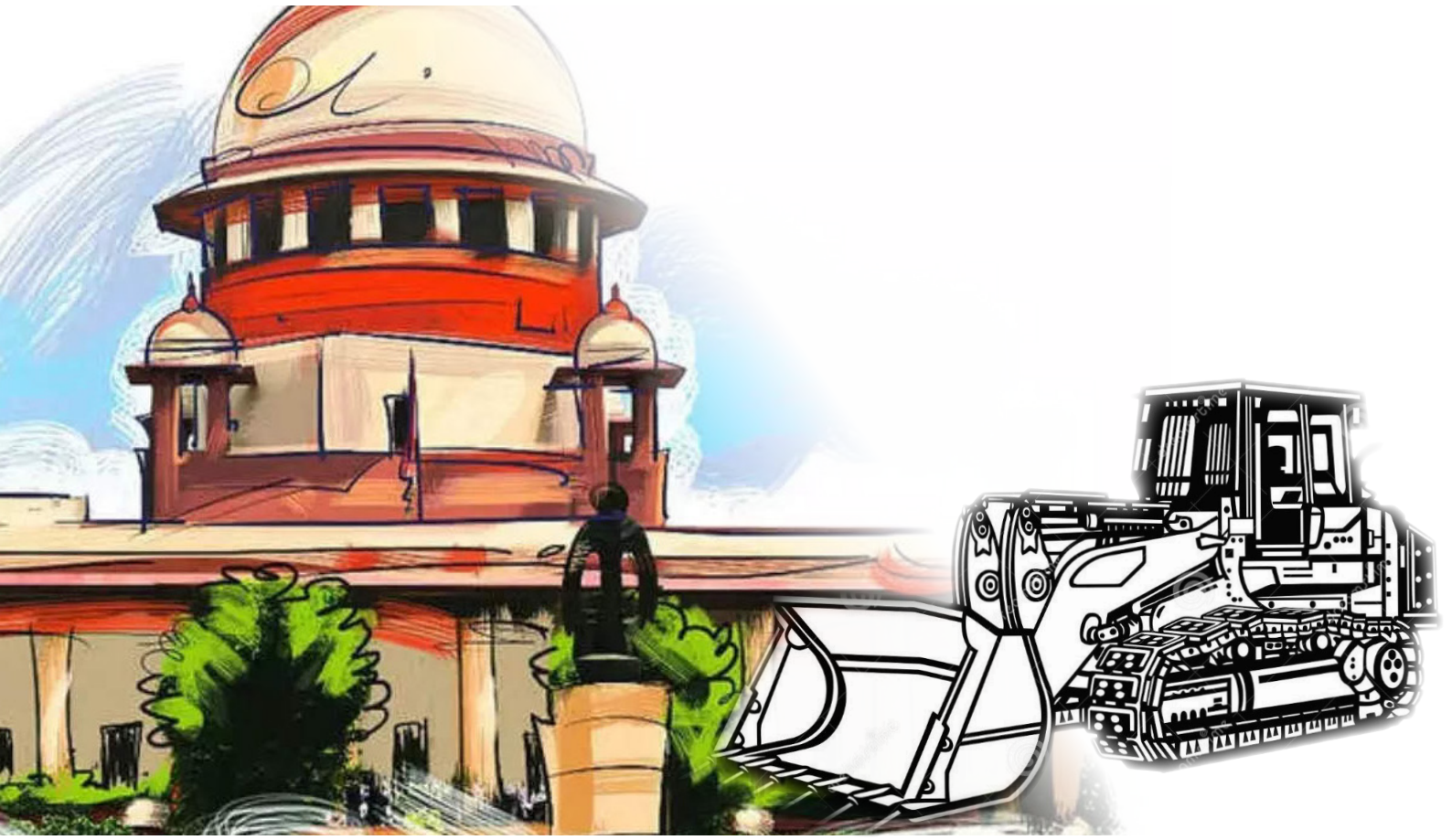
उल्लेखनीय है कि इससे पहले हमारी सर्वोच्च अदालत आपसी सहमती से बनाए गए विवाहेत्तर यौन संबंधों को वैध ठहरा चुकी है। इसी प्रकार बिना विवाह के स्त्री-पुरुष का एक साथ रहना और समलैंगिक संबंधों को भी हमारी सर्वोच्च अदालत क़ानूनी मान्यता प्रदान कर चुकी है। और अब इसने वेश्यावृत्ति जैसे अनैतिक पेशे को भी क़ानूनी स्वीकृति प्रदान कर दी है।

देश की सर्वोच्च अदालत के उपरोक्त निर्णय हमारे देश को भी उसी रास्ते पर ले जाएंगे और उनके परिणाम वही होंगे जो आज पश्चिमी दुनिया भुगत रही है। ऐसे फ़ैसले हमारे नैतिक, सामाजिक और पारिवारिक ताने-बाने को नष्ट कर देंगे। देह व्यापार के संबंध में अदालत के हालिया निर्देश ख़तरों से भरे हैं और इससे हज़ारों निर्दोष लड़कियों और महिलाओं की स्थिति और ख़राब हो सकती है, जिन्हें इस पेशे में आने के लिए मजबूर किया जाता है। यदि यह क़ानूनी पेशे का दर्जा प्राप्त कर लेता है तो यह हमारे समाज को नैतिक भ्रष्टता की खाई में फेंक देगा और हमारे देश में महिलाओं की स्थिति को अपूरणीय क्षति पहुंचाएगा।

देह व्यापार को वैध बनाने से तथाकथित फ़ायदे से ज़्यादा नुक़सान होगा। इसलिए सरकार को चाहिए कि वेश्यावृत्ति को अवैध घोषित करने वाला एक नया और मज़बूत क़ानून लेकर आए और हर वो प्रयास करे जिससे कि इस अनैतिक पेशे को रोका जा सके। इस पेशे में लगी महिलाओं के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अन्य वैकल्पिक प्रयास किए जाने चाहिए न कि उनके इस अनैतिक पेशे को क़ानूनी जामा पहना कर बढ़ावा देना चाहिए। ■■



**“यह पेशा भोगवादी विचारधारा की देन है, जोकि नारी को एक भोग-विलास की वस्तु मानती है। आमतौर पर इस पेशे में महिलाओं को जबरन धकेला जाता है। इसे क़ानूनी मान्यता देने से उनका शोषण और बढ़ेगा।”**



# न्यायतंत्र का मख़ौल

ज्वलंत



सुफ़ियान अहमद

भाजपा शासित राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में जारी बुलडोज़र पालिटिक्स के बीच गत दिनों मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले के एक सिविल इंजीनियर को अपनी शादी में बुलडोज़र पर बैठकर दुल्हन लेने पहुंचने पर पुलिस ने दूल्हे के साथ बुलडोज़र चालक के ख़िलाफ़ भी मुक़दमा दर्ज किया और 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। दूल्हे के साथ उसके परिवार की दो महिलाएं भी बुलडोज़र में सवार थीं। बड़ी संख्या में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर इस बारात से जुड़ी तस्वीरें और वीडियो साझा किए गए।

इस संबंध में बताया गया कि ''जेसीबी मशीनें वाणिज्यिक उपयोग के लिए होती हैं और उन्हें सार्वजनिक परिवहन के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। जेसीबी के चालक और दूल्हे ने नियमों का उल्लंघन किया है। इसी को लेकर जब मामला संज्ञान में आया तो चालक के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई।''

उक्त घटना हास्यास्पद होने के साथ-साथ कई गंभीर सवालों को भी जन्म देती है। ऐसे समय में जब देश के दो सबसे बड़े राज्यों मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों, शिवराज

सिंह चौहान और योगी आदित्यनाथ ने ख़ुद के लिए बुलडोज़र मामा और बुलडोज़र बाबा शब्द को स्वीकृत और प्रचारित किया हो, ऐसी घटनाओं का होना अप्रत्याशित नहीं है। बुलडोज़र को जब महिमामंडित किया जाने लगे और इसे राजनीति में दबदबे का पर्याय बनाया जाने लगे तो ऐसी घटनाओं का होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है।

उल्लेखनीय है उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने के बाद कुछ भाजपा समर्थक व्यापारियों ने मुख्यमंत्री योगी को चांदी का बुलडोजर भेंट किया था और योगी जी ने मुस्कुराते हुए इस भेंट को स्वीकार किया था। उनकी चुनावी रैलियों में भी कुछ अतिउत्साहित कार्यकर्ताओं द्वारा बुलडोज़र का खुले तौर पर आक्रामक रूप से प्रदर्शन किया गया था।

यह कैसी विडम्बना है कि निर्माण की जगह विध्वंस के प्रतीक हमारी राजनीति में हावी हो रहे हैं। ख़ासकर भाजपा शासित राज्यों में, जहां क़ानून व्यवस्था के नाम पर पुलिस और अदालत की कार्रवाई को दरकिनार करते हुए सीधे फ़ैसला सुना देने की नयी परंपरा तैयार की जा रही है। ये स्थिति न्यायतंत्र का मखौल और हमारे लोकतंत्र के लिए ख़तरनाक है।

सवाल जहां तक क़ानून व्यवस्था का है, तो इसे भाजपा, कांग्रेस या किसी अन्य दल की सत्ता के दायरे से ऊपर उठते हुए एक अनिवार्यता की तरह लागू किया जाना चाहिए, लेकिन संविधान की जगह देश में बुलडोज़र संस्कृति का बोलबाला दिख रहा है। बदले की भावना, सबक़ सिखाने की उत्सुकता और ज़मीदोज़ करने की व्याकुलता के कारण हमारे न्यायतंत्र का देश और दुनिया में मज़ाक़ बनाया जा रहा है। राजनीतिक विरोधियों को ख़ामोश करने या समुदाय विशेष को सबक़ सिखाने के नाम पर की जाने वाली यह कार्रवाई देश की लोकतांत्रिक संरचना को नुक़सान पहुंचा रही है।

क़ानून का मज़ाक़ बनते हुए देखकर जो लोग इसलिए ख़ुश हो रहे हैं कि पीड़ित, वर्ग विशेष से हैं तो उनको यह समझना चाहिए कि जब क़ानून का राज ही नहीं रहेगा तो उनके अधिकारों का हनन भी उसी मंशा के साथ होगा और वे कुछ नहीं कर सकेंगे। जब देश में बदले की भावना से कार्रवाई की जाने लगेगी तो देश का अस्तित्व ख़तरे में पड़ जाएगा, देश में अराजकता फैल जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया में अदालतों का रवैया भी काफ़ी निराशाजनक रहा है, हालांकि देश का न्यायालय ही बचा है जिस पर सभी को विश्वास है कि वह बतौर संविधान का रक्षक न्याय स्थापित करेगा।

**यह कैसी विडम्बना है कि निर्माण की जगह विध्वंस के प्रतीक हमारी राजनीति में हावी हो रहे हैं। ख़ासकर भाजपा शासित राज्यों में, जहां क़ानून व्यवस्था के नाम पर पुलिस और अदालत की कार्रवाई को दरकिनार करते हुए सीधे फ़ैसला सुना देने की नयी परंपरा तैयार की जा रही है। ये स्थिति न्यायतंत्र का मखौल और हमारे लोकतंत्र के लिए ख़तरनाक है।**

राजनीतिक व धार्मिक प्रतिरोध और बदले की भावना से घरों पर दौड़ते बुलडोज़रों ने वास्तव में हमारे देश के न्यायतंत्र मज़ाक़ उड़ाया है। क़ानून के अनुसार, न्यायिक प्रक्रिया के बिना किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है और दोषी व्यक्ति को सज़ा भी संविधान के अनुसार न्यायालय ही तय करेगा। भारतीय अदालतों द्वारा स्वतः संज्ञान की कार्रवाई न्यायपालिका की सक्रियता का प्रतिबिंब है और अदालतों द्वारा त्वरित न्याय का, जो आम जनता को आकर्षित करता है और न्यायपालिका के प्रति विश्वास पैदा करता है। भारत में मामलों को आमतौर पर स्वतः संज्ञान सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लिया जाता है। लोकतंत्र का प्रहरी होने के नाते राज्यों के उच्च न्यायालयों को भी यह पूरा अधिकार है कि वे बेलगाम हो चुकी सरकारों को क़ानून की धज्जियां न उड़ाने दें।

विरोध के स्वर को दबाने के लिए विध्वंस का जो तरीक़ा अपनाया गया वह लोकतंत्र और क़ानून के शासन का गला घोंटने जैसा है। उत्तर प्रदेश में तो योगी की बुलडोज़र नीति मानो संविधान से ऊपर हो गई है। हालत यह है कि देश के मात्र इक्का-दुक्का हिंदी अख़बारों ने ही इस बुलडोज़र नीति के ख़िलाफ़ ख़बरें प्रकाशित कीं। पत्रकारिता भी कुछ को छोड़कर पंगू हो गई है। जिस देश के पत्रकार बिक जाएं, समर्पण कर जाएं, उस देश के दुर्दिन को कोई नहीं रोक सकता।

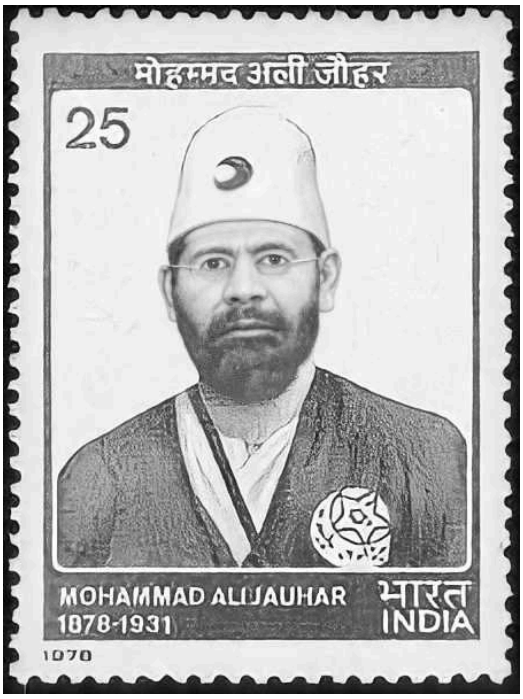
इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि संविधान के अनुरूप न्याय और समानता स्थापित करने के लिए देश की आम जनता को आवाज़ उठाना होगा। देश की लोकतांत्रिक संरचना को बचाने के लिए सभी को आगे आना होगा, किसी को सबक़ सिखाने के लिए नहीं बल्कि क़ानून का राज स्थापित करने के उद्देश्य से। क़ानून का तक़ाज़ा यह है कि आरोपियों को भी सफ़ाई का मौक़ा मिलता है। देश में आतंकी हमला करने वालों को भी फांसी हुई है। बिना उचित प्रक्रिया के यह अनुमति किसी को नहीं है कि एक घर को ध्वस्त कर दिया जाए। यह कोई तकनीकी मुद्दा नहीं, बल्कि क़ानून के शासन का सवाल है। ■■

# स्वतंत्रता दिवस पर विशेष

विशेष



नईम अलहिन्दी




# आज़ादी के अग्रदूत

''मैं ग़ुलाम मुल्क में जीने से बेहतर आज़ाद मुल्क में मरना पसंद करूंगा। मेरी स्वतंत्रता मेरे हाथ में दो, मैं अपने देश वापस जाना चाहता हूं, नहीं तो मैं एक ग़ुलाम देश में वापस नहीं जाऊंगा। मैं एक विदेशी देश में मरना पसंद करूंगा, क्योंकि यह एक आज़ाद देश है, और अगर आप मुझे भारत में आज़ादी नहीं देते हैं तो आपको मुझे यहां एक क़ब्र देनी होगी। मैं भारत को आज़ाद कराने के लिए आया हूं।''

उक्त कथन हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानी मौलाना मुहम्मद अली जौहर का है, जिसे उन्होंने वर्ष 1931 में इंग्लैंड के गोलमेज़ सम्मेलन में जाकर कहा था। मौलाना मुहम्मद अली जौहर स्वतंत्रता के उन जोशीले सेनानियों में से थे, जिन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शक्तियों के ख़िलाफ़ जीवन भर संघर्ष किया और जेल की यातनाएं झेलीं।

मौलाना मुहम्मद अली जौहर के जीवन पर यदि नज़र डालें तो भारतीय इतिहास में उनका सबसे बड़ा कारनामा ख़िलाफ़त आंदोलन है। यह वही मंच था, जहां से गांधी जी ने अपनी राजनीतिक शुरुआत की। इस आंदोलन ने हिंदुओं और मुसलमानों को अंग्रेज़ों के विरुद्ध ला खड़ा किया। दोनों ही समुदायों ने बड़े जोश और जज़्बे के साथ अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कड़े क़दम उठाने शुरू कर दिए ताकि भारत को आज़ाद कराया जा सके।

मुहम्मद अली जौहर का जन्म 10 दिसम्बर 1878 में उत्तर प्रदेश के रामपुर ज़िले में हुआ था। वह पठानों के एक धनी और प्रबुद्ध परिवार रोहिल्ला जनजाति के यूसुफ़ ज़ई क़बीले से थे। वह शौकत अली और ज़ुल्फ़िकार अली के बाद अली ब्रदर्स के दिग्गजों में से एक थे।

बचपन में ही पिता का साया सिर से उठ जाने के कारण उनके पालन-पोषण और शिक्षा की ज़िम्मेदारी उनकी मां को निभानी पड़ी। पिता की मृत्यु के बावजूद, उनकी दूरदर्शी मां आबादी बानो बेगम के प्रयासों, दृढ़ संकल्प और बलिदान ने उन्हें और उनके भाइयों को अच्छी शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाया। उनकी मां ने अपनी लगभग सारी ज़मीन-जायदाद गिरवी रख दी और उन्हें मुहम्मदन एंग्लो-ओरिएंटल कॉलेज, अलीगढ़ पढ़ने के लिए भेज दिया, दोनों अली ब्रदर्स ने इस कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। मुहम्मद अली ने अपने पूरे कॉलेज करियर में असाधारण प्रतिभा दिखाई और बीए में प्रथम स्थान प्राप्त किया।

पढ़ाई पूरी कर लौटने के बाद, उन्होंने रामपुर राज्य के शिक्षा निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला और बाद में लगभग एक दशक तक बड़ौदा सिविल सेवा में सेवा की। एक लेखक और

वक्ता के रूप में उनके पास उल्लेखनीय प्रतिभा थी, उन्होंने ''द टाइम्स'', ''द ऑब्जर्वर'' और ''द मैनचेस्टर गार्डियन'' जैसे विभिन्न समाचार पत्रों के साथ-साथ अंग्रेज़ी और उर्दू दोनों में अन्य प्रमुख अंग्रेज़ी और भारतीय समाचार पत्रों में लेख लिखे। वह एक बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे और उन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के ख़िलाफ़ प्रयासों में एक बड़ी भूमिका निभाई। वे एक महान वक्ता और उससे भी बड़े पत्रकार थे।

वर्ष 1913 में बाल्कन युद्धों और कानपुर मस्जिद की घटना के संयुक्त आघात के कारण वह ब्रिटिश शासन के दृढ़ विरोधी बन गए। भारत की स्वतंत्रता के लिए उनका अथक दृढ़ संकल्प और उत्साह, और आज़ादी के अपने लक्ष्य का पीछा करने में उनकी दृढ़ता ने उन्हें अपने देशवासियों का स्नेह और सम्मान दिलाया।

उन्होंने 14 जनवरी, 1911 को कलकत्ता से अंग्रेज़ी में अपना प्रसिद्ध साप्ताहिक द कॉमरेड लॉन्च किया। द कॉमरेड ने तेज़ी से प्रसार और प्रभाव प्राप्त किया। कामरेड एक ऐसा अंग्रेज़ी अख़बार था, जिसका लोहा अंग्रेज़ भी मानते थे। अंग्रेज़ों पर इस अख़बार के प्रभाव का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अंग्रेज़ कामरेड की कॉपी अपने दोस्तों के लिए उपहारस्वरूप लंदन ले जाते थे।

बाद में वर्ष 1913 में उन्होंने उर्दू भाषा के दैनिक हमदर्द का भी प्रकाशन शुरू किया। हमदर्द अख़बार जौहर ने भारतीय जनता ख़ासकर मुसलमानों को जागरूक करने के लिए निकालना शुरू किया था। मौलाना का यह सिद्धांत था कि कोई ख़बर बिना प्रमाण के प्रकाशित न की जाए। मौलाना अख़बार में विज्ञापन छापने के कड़े विरोधी थे। यदि वह चाहते तो ऐसा करके बहुत पैसा कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने आर्थिक लाभ के बजाए पत्रकारिता के सिद्धांतों को वरीयता दी।

मुहम्मद अली ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का विस्तार करने के लिए कड़ी मेहनत की, जिसे तब मोहम्मडन


THE COMRADE

Official Journal of the Parish of Winn. Official Journal of the Town of Winnfield.

VOL. XX. WINNFIELD, LOUISIANA, FRIDAY, AUGUST 26, 1910. NUMBER 21

The Oldest Store M. BERNSTEIN The Newest Prices
ESTABLISHED 1882.

Special All the Week from Now until Sep. 3
Prices will Change. Watch this Space.

Special Offer on Sugar this week
18 lbs. Standard Granulated Sugar ..... $1.
18 lbs. Y. C. Sugar ..... $1.

Special on Gottolene 2 lb. Bucket - - 30c
4 lb. Bucket - - 60c
10 lb. Bucket - $1.40

ORDERS FILLED PROMPTLY
Phone 13. Terms: Spot Cash

Local and Personal

OUR NEW FALL AND WINTER GOODS ARE COMING IN ALMOST EVERY DAY
C. B. COLE & CO.
Fall Dress Goods
Ladies' and Gents' Furnishings
Shoes, Hosiery and Notions
Our goods are new and up-to-date. Look us over from head to foot. We are always glad to show you our goods
Bailey Block, Winnfield, Louisiana

The place to put your Savings is
BANK of WINNFIELD
Winnfield, La.
Capital $75,000 Surplus $37,500
RESOURCES: HALF MILLION DOLLARS

एंग्लो-ओरिएंटल कॉलेज के रूप में जाना जाता था। वह जामिया मिलिया इस्लामिया के सह-संस्थापकों में से एक थे, जिसे बाद में दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था।

अंग्रेज़ों द्वारा उनकी मांगों को अस्वीकार करने के परिणामस्वरूप ख़िलाफ़त समिति का गठन किया गया, जिसने पूरे भारत के मुसलमानों को सरकार का विरोध और बहिष्कार करने का निर्देश दिया। वर्ष 1921 में, अली ने शौकत अली, हकीम अजमल ख़ान, मुख़्तार अहमद अंसारी और भारतीय राष्ट्रवादी नेता महात्मा गांधी जैसे राष्ट्रवादियों के साथ एक व्यापक गठबंधन बनाया।

उन्होंने राष्ट्रीय नागरिक प्रतिरोध आंदोलन के लिए गांधी के आह्वान का तहे दिल से समर्थन किया, और पूरे भारत में सैकड़ों विरोधों और हड़तालों को प्रेरित किया। उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा गिरफ़्तार किया गया था और ख़िलाफ़त सम्मेलन की बैठक में एक देशद्रोही भाषण देने का दोषी करार दिया गया था, जिसके लिए उन्हें दो साल की क़ैद हुई थी। वर्ष1923 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले वह छठे मुस्लिम थे।

मौलान मुहम्मद अली जौहर किसी ग़ुलाम देश में मरना नहीं चाहते थे और इतिहास गवाह है कि उन्होंने अपना वचन पूरा करके दिखा दिया। मधुमेह के रोगी मुहम्मद अली की गोल मेज़ सम्मेलन के तुरंत बाद 4 जनवरी, 1931 को लंदन में मृत्यु हो गई और उन्हें इस्लाम की दूसरी सबसे पवित्र मस्जिद मस्जिद-अल-अक्सा के आंगन में यरुशलेम में दफ़नाया गया। देश को स्वतंत्र कराने में मुहम्मद अली जौहर के बलिदान को हमेशा याद किया जाएगा। मौलाना जौहर ने साहित्य, राजनीति और पत्रकारिता के क्षेत्र में जो विरासत छोड़ी है वह हम सभी देशवासियों के लिए अतुलनीय है।

जिस तरह उन्हें हिंदू-मुस्लिम एकता बहुत प्रिय थी। आज भी हमें उसी एकता की बहुत ज़रूरत है। हमें उनके शैक्षिक सिद्धांतों को भी आगे बढ़ाना होगा। उनके लिए यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

■■




# विदेश क्यों जा रहा है वैध धन?

आर्थिकी



संपादन प्रभाग

ऐसे समय में जबकि हमारा देश गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है यह ख़बर अपने आप में बहुत से गंभीर सवालों को जन्म देती है कि स्विस बैंकों में भारतीयों का तीस हज़ार करोड़ से भी ज़्यादा वैध धन जमा है। स्विटज़रलैंड के सेंट्रल बैंक ने बीते माह जो अपने वार्षिक आंकड़े जारी किए, उसके अनुसार, स्विस बैंकों में भारतीयों के जमा धन में भारी इज़ाफ़ा हुआ है। वर्ष 2021 में भारत के लोगों और संस्थाओं की स्विस बैंकों में कुल जमा राशि 30,500 करोड़ रुपये थी। यह 14 साल के सबसे उच्च स्तर पर है।

ग़ौर करने वाली बात यह है कि स्विस बैंक के उक्त आंकड़ें भारतीयों के वैध कुल वैध धन के बारे में हैं। विदेशों में या स्विस बैंक में भारतीयों का कुल कितना काला धन जमा है, इसका पता लगाना टेढ़ी खीर है। वर्ष 2020 के अंत में स्विस बैंकों में भारतीय ग्राहकों का कुल 2.55 बिलियन स्विस फ्रैंक यानी 20,700 करोड़ वैध रुपये जमा थे। इसके बाद लगातार दूसरे साल इसमें बढ़ोत्तरी देखने को मिली है।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014 के लोकसभा चुनावों में मोदी जी ने स्विस बैंक जमा भारतीयों के कालेधन को एक बड़ मुद्दा बनाया था। केंद्र की सत्ता में आने से पहले स्विस बैंक में जमा कालेधन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया था कि जब

वह चुनाव जीत जाएंगे तो स्विस बैंक में जमा कालेधन को वापस लाएंगे और हर भारतीय के खाते में 15 लाख रुपये जमा करवाएंगे। अब जो स्विस बैंक का डेटा सामने आया है उस पर अभी तक सरकार ने चुप्पी साधी हुई है।

वास्तव में जो वैध धन होता है, स्विस बैंक उसकी ही गिनती बताते हैं। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि अगर यह काला धन नहीं है, तो फिर भारत के लोग स्विस बैंकों में पैसा क्यों जमा करते हैं? इसके कई कारण हो सकते हैं। जानकारों के अनुसार इसका प्रमुख कारण यह है कि जब भी अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता की स्थिति पैदा होती है, तो लोग अपने धन को डायवर्सिफाइ (अलग-अलग जगहों पर जमा करना) करते हैं, इससे उनका जोखिम कम हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि इस बात का ख़तरा है कि रुपया गिरेगा, तो वे अपना धन फॉरेन एक्सचेंज (विदेशी मुद्रा) के माध्यम से स्विस बैंकों में जमा कर देंगे। जो निर्यातक हैं, वे अपना पैसा देर से लाएंगे, जब अर्थव्यवस्था में स्थिरता आएगी और रुपये के गिरने का ख़तरा कम हो जाएगा।

जो लोग आयात करने वाले हैं, वे अपना पैसा इसलिए विदेशी बैंकों में जमा रखते हैं, क्योंकि उन्हें आयात बिल भरना होता है। अन्यथा रुपये का मूल्य गिरने पर उन्हें भारी घाटा होगा। इस तरह से आयातक और निर्यातक यह अनुमान लगाकर कि रुपया कमज़ोर होने पर हमें घाटा हो सकता है, अपना वैध पैसा विदेशी बैंकों में जमा करते हैं। इसके अलावा रिजर्व बैंक की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (एलआरएस) है, जिसके तहत कोई भी हर साल ढाई लाख डॉलर देश के बाहर ले जा सकता है। इसके चलते भी बहुत से लोग अपना वैध धन स्विस बैंकों में या कहीं और जमा करते हैं।



स्विस बैंकों में भारतीयों की जमा राशि बढ़ने का संकेत यह है कि लोगों को लग रहा है कि अर्थव्यवस्था की स्थिति दिन-प्रतिदिन कमज़ोर हो रही है। इस बीच, एक और बात हुई है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स (एचएनडब्ल्यूआई) देश छोड़कर जा रहे हैं। एक रिपोर्ट आई थी कि वर्ष 2014 से 2017 के बीच में देश से 23,000 हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स देश छोड़कर विदेश चले गए।

वर्ष 2018 में पांच हज़ार एचएन डब्ल्यूआई देश छोड़कर चले गए। सुनने में यह भी आ रहा है कि बीते एक साल में नौ हज़ार एचएनडब्ल्यूआई देश छोड़कर चले गए हैं। ज़ाहिर है, जब वे बाहर रहेंगे, तो अपनी संपत्ति का एक हिस्सा बाहर ही रखेंगे। अभी देश का जो माहौल है, उसमें कई अति समृद्ध लोगों को यह भय है कि पता नहीं कब सरकार कौन-सा दबाव बनाए या सख़्ती करे, इसलिए वे देश छोड़कर विदेशों में बसने जा रहे हैं।

अपने सामाजिक माहौल और निवेश माहौल में जो अनिश्चितता का दौर चल रहा है, उसके कारण भी हो सकता है कि लोगों ने अपना और ज़्यादा वैध धन स्विस बैंकों में जमा किया हो। दो तरीक़े से देश से विदेशों में पैसा जाता है। एक तो वैध तरीक़े से और दूसरा काले धन के रूप में। एक अनुमान के अनुसार, इस समय देश में काले धन की जो अर्थव्यवस्था है, वह जीडीपी का साठ प्रतिशत है।

देश में जितना काला धन पैदा होता है, उसका दस प्रतिशत बाहर जाता है, बाक़ी 90 प्रतिशत काला धन देश में ही रहता है। इसलिए अगर हमें काले धन पर अंकुश लगाना है, तो देश में ही उस पर लगाम लगानी चाहिए। अगर बाहर भेजे गए काले धन को पकड़ना चाहेंगे, तो उसमें विफलता ही मिलेगी, क्योंकि

**ग़ौर करने वाली बात यह है कि स्विस बैंक के उक्त आंकड़ें भारतीयों के वैध कुल वैध धन के बारे में हैं। विदेशों में या स्विस बैंक में भारतीयों का कुल कितना काला धन जमा है, इसका पता लगाना टेढ़ी खीर है। वर्ष 2020 के अंत में स्विस बैंकों में भारतीय ग्राहकों का कुल 2.55 बिलियन स्विस फ्रैंक यानी 20,700 करोड़ वैध रुपये जमा थे। इसके बाद लगातार दूसरे साल इसमें बढ़ोत्तरी देखने को मिली है।**

**आज देश गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। ग़रीबी, भुखमरी और बेरोज़गारी के संबंध में समय-समय पर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की रिपोर्टें, सर्वे और आंकड़े हमें आईना दिखाते रहते हैं। रुपये की क़ीमत लगातार गिरती जा रही है। एक लोक कल्याणकारी सरकार का यह दायित्व बनता है कि वह इंटरनेशनल रिपोर्ट्स और सर्वे के डेटा को स्वीकार कर उसके अनुरुप जनता के हित के लिए क़दम उठाए न कि सच्चाई से आंखें मूंद ले।**



सरकार को भी ठीक-ठीक पता नहीं कि कितना काला धन बाहर गया है और उसे कहां रखा गया है।

इस संबंध में जो आंकड़े मिलते हैं, वे चोरी के आंकड़े होते हैं। जैसे कि बैंकों के डाटा को हैक करके आंकड़ा बाहर निकाला जाता है, लेकिन वास्तविक आंकड़ा पता नहीं चलता है, क्योंकि उसे छिपाकर रखा जाता है। इसके अलावा, जो काला धन बाहर जाता है, उसका तीस से चालीस प्रतिशत राउंड ट्रिपिंग के ज़रिये वापस चला आता है।

राउंड ट्रिपिंग का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति या कंपनी विभिन्न स्रोतों से धन किसी टैक्स हेवन देश में भेजती है और फिर वहां से अन्य स्रोत से अपनी भारतीय कंपनी में निवेश करा लेती है। इससे यह पता नहीं चल पाता कि वास्तव में पैसा किसका है। साथ ही जो लोग काला धन बाहर भेजते हैं, वे वहां अपने बच्चों की पढ़ाई, इलाज आदि पर ख़र्च करते हैं या घर आदि ख़रीद लेते हैं।

यह पैसा लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा नहीं रहता कि उसे वापस ला सकें। इसलिए काले धन को बाहर से लाने की क़वायद का बहुत फ़ायदा नहीं है। अगर काले धन को पकड़ना है, तो उसे अपने देश में ही रोकना होगा, विदेशों से हम काला धन वापस नहीं ला पाएंगे। सरकार चाहे, तो अपने देश में ही काले धन को पैदा होने से रोक सकती है, लेकिन सरकारें ऐसा करती नहीं हैं, क्योंकि सत्तारूढ़ दलों को काले धन से फ़ायदा होता है।

आज देश गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। ग़रीबी, भुखमरी और बेरोज़गारी के संबंध में समय-समय पर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की रिपोर्टें, सर्वे और आंकड़े हमें आईना दिखाते रहते हैं। रुपये की क़ीमत लगातार गिरती जा रही है। एक लोक कल्याणकारी सरकार का यह दायित्व बनता है कि वह इंटरनेशनल रिपोर्ट्स और सर्वे के डेटा को स्वीकार कर उसके अनुरूप जनता के हित के लिए क़दम उठाए न कि सच्चाई से आंखें मूंद ले। इसी प्रकार सच्चाई से दूर भागने का नतीजा देश इस समय भुगत रहा है। यह कैसी विडम्बना है कि जो लोग विदेशों से कालाधन लाकर भारतीयों के दुख दूर करने के दावे करते थे, सत्ता में आने के बाद देश का वैध धन भी बाहर जाने से नहीं रोक पा रहे हैं। ■■



# जंक फूड्स से हो जाएं सावधान

सेहत

संपादन प्रभाग

ब्रेड, पिज्जा, बर्गर, पैकेज्ड आलू चिप्स सहित दूसरे जंक फूड्स का लगातार सेवन सेहत लिए हानिकारक हो सकता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार हमारी हर दिन की डायट में शामिल होने वाले कई खाद्य पदार्थों में कार्सिनोजेनिक और म्यूटेजन जैसे हानिकारक तत्व पाए जाते हैं, जो कैंसर जैसी बीमारियों को विकसित कर सकते हैं।

दरअस्ल, पिज्जा, बर्गर के सेवन से लगातार ख़ून में ग्लूकोज़ का लेवल अचानक बढ़ने लगता है, जिससे शरीर में इंसुलिन अधिक मात्रा में बनता है। इससे शरीर में असामान्य कैंसर सेल्स विकसित होने लगते हैं जो शरीर के लिए हानिकारक माने जाते हैं। ऐसे में हम आपको कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों को बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका सेवन आपको कम करना चाहिए।

## किडनी, थायराइड की बीमारी के हो सकते हैं शिकार

अगर आप लगातार पिज्जा बर्गर खाते हैं तो यह आपके लिए नुक़सानदायक होगा। क्योंकि बर्गर, पिज्जा ब्रेड जैसे खाद्य पदार्थों में हानिकारक केमिकल पोटैशियम पाए जाते हैं, इसी के चलते ब्रेड सफ़ेद और मुलायम रहती है। इन खाद्य पदार्थों के अत्याधिक सेवन करने से किडनी, थायरॉयड और कोलोन कैंसर जैसी बीमारियों के बढ़ने का ख़तरा रहता है।

## पैक्ड चिप्स

पैक्ड चिप्स भी सेहत के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं। पैक्ड चिप्स में वसा और सोडियम बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। साथ ही आर्टिफिशियल कलर, टेस्ट और प्रीजर्वेटिव भी मिलाए जाते हैं। जिनका लगातार सेवन करना शरीर में कई बीमारियों को न्योता देता है।



## रिफाइंड ऑयल

रिफाइंड ऑयल का लगातार इस्तेमाल भी शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। रिफाइंड ऑयल में ट्राइग्लाइसेराइड, पॉलीसैचुरेटिड, कंपाउंड होते हैं। जिसे एसिड से रिफाइंड किया जाता है। इसलिए डॉक्टर्स रिफाइंड ऑयल का कम से कम इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं।

## सॉफ्ट ड्रिंक्स

सॉफ्ट ड्रिंक्स को खोलते ही निकलने वाला झाग सेहत के लिए नुक़सान भरा होता है। क्योंकि इस झाग में मीथाइग्लाइओक्सेल जैसे फूड कैमिकल पाए जाते हैं। जबकि सॉफ्ट ड्रिंक्स तैयार करने के दौरान उसमें फूड कलर भी मिलाया जाता है। जो शरीर में कैंसर जैसी बीमारियों को उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल भी कम से कम करना चाहिए।

## अल्कोहल

अल्कोहल तो शरीर के लिए अच्छा माना ही नहीं जाता, लेकिन आपको यह बताना बेहद ज़रूरी है कि तंबाकू के बाद अल्कोहल ही दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कैंसरकारक खाद्य पदार्थ है। अगर आप शराब का नियमित सेवन करते हैं तो यह आपके लिए ठीक नहीं है। क्योंकि शराब के लगातार सेवन से मुंह में ग्रासनली या इसोफेगस, लिवर के साथ-साथ कैंसर जैसी बीमारियों का ख़तरा बढ़ जाता है। इसलिए अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।



## पैक्ड अचार

मसालेदार अचार खाना सभी के लिए बहुत पसंद रहता है। बाज़ार में भी आजकल कई प्रकार के अचार मिलने लगे हैं। लेकिन आपको बता दें कि मसालेदार अचार आमतौर पर नाइट्रेट, नमक और विनेगर से बनाए जाते हैं। जबकि अचार में फूड कलर भी मिलाए जाते हैं। ऐसे में अगर आप लगातार पैक्ड अचार का इस्तेमाल करते हैं तो यह आपकी परेशानी बढ़ा सकता है। ■■




## ऑफ़-बीट कोर्सेज

# करियर के नए विकल्प

करियर



संपादन प्रभाग

स्टूडेंट्स और उनके अभिभावकों की सबसे बड़ी चिंता यही होती है कि इंटरमीडिएट के बाद करियर की कौन-सी राह सबसे मुनासिब होगी।

यदि आप 12वीं कक्षा के छात्र हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अक्सर आपके दिमाग़ में यह सवाल आता होगा या फिर आपके जानने वाले या रिश्तेदार आपसे ज़रूर पूछते होंगे कि 12वीं के बाद क्या करना है? किस फील्ड में जाना है? कौन-सा करियर चुनना सही होगा आदि-आदि। अधिकांश छात्र 12वीं से पहले ही तय कर लेते हैं कि उन्हें आगे करना क्या है? किस करियर फील्ड में जाना है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स अंतिम तक यह तय नहीं कर पाते कि उन्हें भविष्य में क्या करना है? करियर का कौन-सा फील्ड उनके लिए सही रहेगा? इस प्रश्न को लेकर कन्फ्यूज्ड रहते हैं तथा कुछ भी तय नहीं कर पाते हैं।

चाहे आप किस भी स्ट्रीम के हों 12वीं के बाद क्या करना है इसका निर्णय लेना बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यहीं से आपके करियर की दिशा निर्धारित होती है। आजकल मार्केट में विभिन्न कोर्सेज, स्ट्रीम्स, कई तरह के इंट्रेंस एग्जाम्स और करियर फील्ड की भरमार है और ऐसे में छात्रों का अपने लिए चयन करते समय कन्फ्यूज्ड होना स्वाभाविक है तथा यह समय भी उनके जीवन का निर्णायक मोड़ होता है। ऐसे में कैसे करें सहीं करियर का चुनाव आपको इस आर्टिकल के ज़रिये जानने का मौक़ा मिलेगा।

### 12वीं के बाद उपलब्ध कुछ ऑफ़-बीट कोर्सेज

12वीं के बाद अक्सर छात्र दो ही कोर्सेज इंजीनियरिंग और मेडिकल को करियर विकल्प के रूप में देखते हैं। लेकिन अब नित नये-नये उभरते विकल्पों की वजह से उनके समक्ष भी अब कई अन्य कोर्सेज का विकल्प मौजूद है। पुरानी अवधारणाओं को तोड़ते हुए छात्र अपनी प्रतिभा के अनुरूप इन नए ऑफ़-बीट कोर्सेज का चयन कर उसमें सफलता भी हासिल कर रहे हैं।

### पैरामेडिकल

यह फील्ड एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। कई लोग सिर्फ़ मेडिकल फील्ड को डॉक्टर बनने से जोड़कर देखते हैं, जबकि ऐसा नहीं है मेडिकल साइंस ने आज बहुत तरक़्क़ी कर ली है अब आप मेडिकल फील्ड के अलावा पैरामेडिकल कोर्स करके भी हेल्थकेयर सेक्टर में जा सकते हैं। इस फील्ड में बहुत विकल्प है कई



तरह की नौकरियां या व्यवसाय आप पैरामेडिकल की पढ़ाई के बाद कर सकते हैं। पैरामेडिकल साइंस में मुख्य रूप से फिजियोथेरेपी, फार्मेसी रेडियोग्राफ़ी, मेडिकल लैबोरेट्री टेक्नोलॉजी, नर्सिंग, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, डेंटल हाइजीन डेंटल मेकैनिक्स, ऑप्टोमेट्री जैसे कई फील्ड शामिल हैं और इसी सिलसिले में अब कई जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज शुरू किए जा चुके हैं। इस फील्ड में कदम रखने के लिए 10वीं और 12वीं पास स्टूडेंट्स के लिए फुल टाइम और पार्ट टाइम सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज उपलब्ध हैं।

## पत्रकारिता

पत्रकारिता में भी एक बहुत ही शानदार करियर बनाया जा सकता है। अगर आपमें लेखन क्षमता, एडिटिंग, फोटोग्राफ़ी जैसी क्वालिटी है तो आपको पत्रकारिता में करियर बनाने के बारे में विचार करना चाहिए। इस क्षेत्र में पैसे के साथ-साथ आपकी समाज में एक अलग छवि बनती हैं और आपका रुतबा भी बढ़ता हैं।

## प्रोफ़ेशनल कोर्सेज

प्रोफ़ेशनल कोर्सेज़ का अपना ही जलवा है। छात्र चाहें तो 12वीं के बाद इन कोर्सेज़ का चुनाव कर सकते हैं। वे चाहें तो आईटी और मैनेजमेंट से जुड़े कोई कोर्स कर सकते हैं। बैचलर ऑफ़ बिजनेस मैनेजमेंट (बीबीए), बैचलर ऑफ़ कंप्यूटर ऐप्लिकेशंस (बीसीए), डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट ऐंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, बैचलर इन इन्फॉरमेशन टेक्नॉलोजी (बीआईटी), प्रमोशन एंड सेल्स मैनेजमेंट, ट्रैवल एंड टूरिज्म, फ़ैशन डिज़ाइनिंग, इवेंट मैनेजमेंट, पब्लिक रिलेशन जैसे कई प्रोफ़ेशनल कोर्सेज़ हैं, जो ख़ूब डिमांड में हैं। ये ऐसे क्षेत्र हैं, जिनमें नौकरी का काफ़ी स्कोप है।

## वेडिंग प्लानर

युवाओं के लिए करियर बनाने के लिए कई रास्ते हैं और वह किसी भी क्षेत्र को चुनकर अपना करियर बना सकता है। आज बड़ी तादाद में युवा, वेडिंग प्लानर के तौर पर अपने करियर का चुनाव कर रहे हैं, क्योंकि वेडिंग प्लानिंग में उन्हें अपनी क्रिएटिविटी को पेश करने का सुनहरा अवसर मिल रहा है। आज के दौर में अगर आपके पास क्रिएटिव आइडिया है और उसे हक़ीक़त में बदलने का हुनर आता है, तो अपनी मनपसंद फील्ड में ऊंची उड़ान भरने के लिए पूरा आकाश है। इन दिनों अधिकतर युवा अपने पैशन को फॉलो करते हुए ऐसा करियर चुन रहे हैं, जिसमें काम करने का अपना एक अलग मज़ा हो। जहां मेहनत हो, तो साथ में पैसा भी भरपूर हो।

## बैंकिंग और फाइनेंस

यदि हम यह कहें कि आने वाले कुछ वर्ष बैंकिंग के क्षेत्र में नई नौकरियों की चाह रखने वाले छात्रों के नाम होंगे, तो कुछ ग़लत नहीं होगा। आगामी कुछ वर्षों में लगभग एक लाख से अधिक छात्रों के लिए बैंकिंग सेक्टर के दरवाज़े खुले रहेंगे। यदि आप 10+2 के बाद इस क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं, तो 3 वर्ष का एडवांस डिप्लोमा कर सकते हैं।

हालांकि कई बैंकों में अब क्लर्क के लिए भी स्नातक आवश्यक योग्यता के रूप में मांगी जाती है, तो स्नातक पूरी कर चुके छात्र भी इस क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं, वह स्नातक के बाद एक वर्ष का ग्लोबल पीजी डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस या एक वर्ष का फ़ेलोशिप प्रोग्राम कर सकते हैं।

## प्रमुख संस्थान

- दिल्ली पैरामेडिकल एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट www.dpmiin_dia.com
- लक्ष्य भारती इंस्टीट्यूट ऑफ़ इंटरनेशनल होटल मैनेजमेंट www.lbiihm.com
- इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली www.ignou.ac.in
- कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट विभाग, हरियाणा www.kuk.ac.in

■■

लघुकथा

# मुद्दा क्या है ? एजेंडा क्या है ?



कॉलेज के विद्यार्थियों का एक ग्रुप देश के एक बड़े नेता से मिला और पूछा कि-सर, आपकी पार्टी का मुद्दा क्या है ? एजेंडा क्या है ?

नेता-मैं तुम्हें यह बात एक उदाहरण से समझाता हूं। मान लो कि दो व्यक्ति मेरे पास आते हैं। उनमें से एक साफ़-सुथरा है और एक गंदा। मैं उन दोनों को नहाने की सलाह देता हूं, बताओ उन दोनों में से कौन स्नान करेगा ?

विद्यार्थी-जो गंदा व्यक्ति है वह स्नान करेगा।

नेता-नहीं, केवल स्वच्छ व्यक्ति ही स्नान करेगा, क्योंकि उसे नहाने की आदत है। जबकि गंदे व्यक्ति को स्वच्छता का महत्व भी पता नहीं।

अब बताओ कौन स्नान करेगा ?

विद्यार्थी-यस सर यू आर करेक्ट। स्वच्छ व्यक्ति ही स्नान करेगा, क्योंकि उसे नहाने की आदत है।

नेता-नहीं, गंदा व्यक्ति स्नान करेगा क्योंकि उसे स्वच्छ होने की ज़रूरत है। अब बताओ कौन स्नान करेगा ?

विद्यार्थी-जी, बिल्कुल सही कहा आपने। गंदा व्यक्ति स्नान करेगा, क्योंकि उसे स्वच्छ होने की ज़रूरत है।

नेता-नहीं, दोनों व्यक्ति स्नान करेंगे क्योंकि एक को नहाने की आदत है और एक को नहाने की ज़रूरत। अब बताओ कौन स्नान करेगा ?

विद्यार्थी-सर यू आर 100% राइट। दोनों व्यक्ति स्नान करेंगे।

नेता-नहीं, दोनों में से कोई नहीं नहाएगा, क्योंकि स्वच्छ व्यक्ति को नहाने की ज़रूरत नहीं है और गंदे व्यक्ति को नहाने की आदत नहीं है। अब बताओ दोनों में से कौन नहाएगा ?

विद्यार्थी-सर आप हर बार अपनी बात से पलट जाते हैं, आख़िर सही उत्तर क्या है?

नेता-तुमने हमारी पार्टी का मुद्दा और एजेंडा पूछा था न? तो सही उत्तर है कि वास्तविकता क्या है? आपने क्या कहा, सामने वाला क्या समझा, सच क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि लोगों के दिमाग़ को कन्फ़्यूज़ करना, भ्रमित करना, हिंदू-मुस्लिम करवाना, आपस में लड़वाना, नफ़रत फैलाना, दूसरों को ग़लत बताना, ग़रीबी, बेरोज़गारी, महंगाई, गिरती अर्थव्यवस्था, गिरती रुपये की क़ीमत जैसे मुद्दों से भटकाना और हिजाब, हलाल, अज़ान, हिंदू ख़तरे में है जैसे मुद्दों में उलझा कर चुनाव जीतना ही हमारा एजेंडा है।

(लेखक अज्ञात)

■■



# दुबे का कुआं मजीद का पैसा

सद्भावना



रामधनी द्विवेदी

बात कुछ पुरानी है। कानपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से रिटायर होकर पिताजी को गांव आए छह साल हो रहे थे। गांव का मकान जर्जर हो गया था। रिटायरमेंट पर मिले पीएफ के थोड़े से पैसे से उन्होंने छह साल की एफडी करा दी थी। सोचा था कि मैच्योर होगी तो मकान बनवाएंगे। तब छह साल में एफडी दोगुनी हो जाती थी। जब पैसे मिले तो मकान का काम शुरू हुआ, जो कई दिक़्क़तों के बाद धीरे-धीरे रहने लायक़ बन गया। पानी के लिए हैंड पंप लगाया गया जो रह-रहकर ख़राब हो जाता था। अपना पुराना कुआं कुछ दूर था, जिससे पानी लाने में दिक़्क़त आ रही थी। अब तय हुआ कि नया कुआं खुदवाया जाए। कुआं खोदने वालों को बुलाया गया और काम शुरू हुआ।

क़िस्मत से पानी कम गहराई पर ही मिल गया। पानी मिला तो पूजा हुई, प्रसाद बंटा मगर जब ठेकेदार को पेमेंट की बात आई तो पिताजी के पास लगभग दो हज़ार रुपये कम पड़ गए। सन् 1990 के आसपास दो हज़ार रुपये कम

**जब ठेकेदार को पेमेंट की बात आई तो पिताजी के पास लगभग दो हज़ार रुपये कम पड़ गए। सन् 1990 के आसपास दो हज़ार रुपये कम नहीं होते थे। रिटायर व्यक्ति के लिए तो यह और भी ज़्यादा थे। पिताजी गांव में किसी से नहीं लेना चाहते थे। उन्हें मजीद चाचा की याद आई।**



नहीं होते थे। रिटायर व्यक्ति के लिए तो यह और भी ज़्यादा थे। पिताजी गांव में किसी से नहीं लेना चाहते थे। उन्हें मजीद चाचा की याद आई। मजीद चाचा उनके साथ ही नौकरी करते थे। कानपुर में तब उनके रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी तो पिताजी ने अपने साथ उनके खाने-पीने की व्यवस्था की थी। दोनों गहरे दोस्त थे। पिताजी प्रेम से उन्हें उस्ताद कहते थे तो मजीद चाचा भी पिता जी को दुबे कहते। तब शायद दोस्ती में एक-दूसरे का नाम न लेने के संयम की परंपरा थी।

मजीद चाचा की याद आते की पिताजी ने साइकिल उठाई और उनके गांव चले गए। पिताजी के पैर में गठिया था, तो साइकिल वह मजबूरी में ही चलाते थे। उनके गांव पहुंचने पर पता चला कि मजीद चाचा कहीं गए हैं। कब लौटेंगे, इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। उनकी पत्नी ने बैठने के लिए कहा, लेकिन दो हज़ार रुपये की चिंता ने उन्हें बैठने का समय नहीं दिया। वह वापस गांव आए, क्योंकि ठेकेदार को शाम को ही पैसे देने थे। चिंता थी कि व्यवस्था कैसे होगी। उधर थोड़ी देर बाद मजीद चाचा जब अपने घर पहुंचे तो उनकी पत्नी ने बताया कि दुबे जी आए थे, आप से मिलने।

चाचा चिंतित हो गए कि इतनी गर्मी में वह क्यों आए? निश्चित ही कोई दिक़्क़त होगी। उन्होंने अपनी पत्नी से घर में रखे दो हज़ार रुपये लिए और उल्टे पांव मेरे गांव के लिए साइकिल उठा ली। पिताजी घर पहुंच कर बैठे ही थे कि थोड़ी ही देर में चाचा भी साइकिल से आ पहुंचे। पिताजी उन्हें देखकर चकित रह गए। दुआ-सलाम हुई तो चाचा ने पूछा, 'दुबे, घर कैसे गए थे? मैंने सुना तो चला आ रहा हूं। घर बनवा रहे हो, कोई दिक़्क़त तो नहीं? मेरे पास घर पर दो हज़ार रुपये ही थे, लेकर आया हूं। इतने से काम चल जाए तो ले लो।' पिताजी ने कहा, 'उस्ताद आप मेरे मन की बात कैसे जान गए? मुझे इतने ही पैसों की ज़रूरत थी। इतने से काम चल जाएगा। आज ही शाम को ठेकेदार को पैसा देना है। चाचा ने कहा, 'अपना काम पूरा करो, पैसे लौटाने की चिंता न करना।' कुआं बनने के कई महीने बाद उन्हें पैसे लौटाए गए। आज भी हम उस कुएं को देखते हैं तो पिताजी के उस्ताद याद आ जाते हैं। ■■

# वक़्फ़ संपत्ति को लूट से बचाने के लिए कांफ्रेंस

पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में शनिवार को वक़्फ़ कांफ्रेंस का आयोजन किया गया। सेंट्रल वक़्फ़ काउंसिल के सहयोग और बिहार स्टेट सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड के तत्वावधान में आयोजित इस कांफ्रेंस को शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुहम्मद ज़मां खां, सुन्नी और शीया वक़्फ़ बोर्ड के चेयरमैन और ख़ानकाह मुनमिया के सज्जादानशीं डॉ. शमीम मुनमी समेत कई लोगों ने संबोधित किया। सभी ने वक़्फ़ सम्पत्ति की सुरक्षा पर ज़ोर दिया। मीडिया के एक सवाल का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने वक़्फ़ संपत्ति की सुरक्षा की बात दुहराई। शीया वक़्फ़ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अफ़ज़ल अब्बास और एमएलसी ख़ालिद अनवर ने कहा कि वक़्फ़ संपत्ति को बचाना सभी की ज़िम्मेदारी है। कांफ्रेंस में पूरे बिहार से आए वक़्फ़ से जुड़े ज़िम्मेदारों ने शिरकत की।

# 'हुनर से रोज़गार तक'




पर्यटन एवं आतिथ्य प्रबंधन विभाग(डीटीएचएम),जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने 01 जुलाई 2022 को उद्घाटन समारोह के साथ पर्यटन मंत्रालय के तहत 'हुनर से रोज़गार तक' (एचएसआरटी) एक विशेष कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं के बीच रोज़गार कौशल पैदा करना है और देश में आतिथ्य और पर्यटन क्षेत्र के लिए प्रासंगिक कौशल को उन्नत करने में छात्रों की मदद करना है।

डीटीएचएम, जामिया ने उन छात्रों को एक व्यापक मंच प्रदान किया है, जिनके पास करियर का कोई विकल्प नहीं है, लेकिन उनकी आंखों में कुशल और अंततः रोज़गार योग्य होने का सपना है। विभाग ने आतिथ्य व्यापार क्षेत्र में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया है जैसे खाद्य उत्पादन, खाद्य और पेय सेवाएं, कौशल परीक्षण और प्रमाणन कार्यक्रम। निकट भविष्य में कई और कार्यक्रम शुरू किए जाने की योजना है।




# तीस्ता सीतलवाड़ के समर्थन में उतरे सामाजिक संगठन

तीस्ता सीतलवाड़ की गिरफ़्तारी के बाद, उनके लिए समर्थन मज़बूत हो रहा है। पत्रकार, कार्यकर्ता और शिक्षाविद तीस्ता सीतलवाड़ आज भी आशा की एक चमकीली किरण हैं और कई आम भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं, यह इस बात से स्पष्ट है कि कैसे उनकी रिहाई की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। राइट्स ग्रुप समेत देश भर के बहुत से धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों ने तीस्ता की गिरफ़्तारी की न केवल निंदा की बल्कि अपना विरोध भी दर्ज कराया है और आंदोलन की तक चेतावनी भी दी है।

गुजरात पुलिस द्वारा मानवाधिकार कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करते हुए जमाअत इस्लामी हिन्द के उपाध्यक्ष प्रो सलीम इंजीनियर ने प्रेस को दिए एक बयान में कहा कि तीस्ता एक साहसिक मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं और वो उत्पीड़ित लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए काम करती हैं। उनका एनजीओ "सिटिजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस (सीजेपी)" ने 2002 में गुजरात में मुस्लिम विरोधी दंगों के पीड़ितों को कानूनी सहायता प्रदान की थी। उनके इन्हीं कार्यों की वजह से, बड़ी संख्या में दंगों के पीड़ितों की एक बड़ी तादाद को इन्साफ मिला और दंगा में शामिल कई पुलिसकर्मियों को दंडित किया गया। सुश्री सीतलवाड़ के एनजीओ की प्रभावी प्रगति और कड़ी मेहनत के कारण ही तत्कालीन केंद्र सरकार को बड़ी संख्या में पीड़ितों को वित्तीय मुआवज़ा देने के लिए मजबूर होना पड़ा था और यह मुआवजा 1984 के दंगों के सिख पीड़ितों को दिए गए मुआवज़े के बराबर था।

उन्होंने कहा, ''किसी को सिर्फ इसलिए निशाना बनाना कि उनकी गतिविधियों से कुछ राजनेताओं और सरकार में कुछ लोगों को परेशानियां हो सकती हैं, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरे का संकेत है।'' यह मानवाधिकारों के लिए काम करने वाले व्यक्तियों और समूहों को कमजोरों के साथ खड़े होने से हतोत्साहित करेगा। जबकि तथ्य यह है कि मानवाधिकार या समाज के लिए काम करने वाला कोई भी कार्यकर्ता सरकार और प्रशासन का विरोधी या दुश्मन नहीं है, बल्कि उनकी गतिविधियां सरकार को लोगों को न्याय दिलाने में सरकार की मदद करती हैं। इसलिए सरकार को सामाजिक और मानव अधिकारों के लिए काम करने वाले लोगों के प्रयासों की सराहना करनी चाहिए।



# आठ हज़ार से ज़्यादा करोड़पति छोड़ेंगे भारत

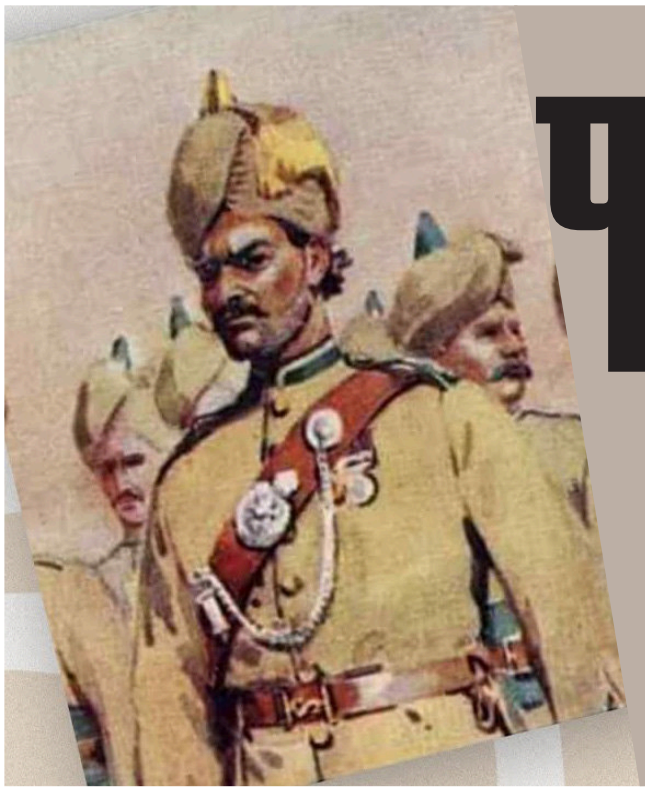
अमीरों को विदेशों का वीज़ा दिलाने में मदद करने वाली कंपनी 'हेनली एंड पार्टनर्स' की रिपोर्ट कहती है कि इस साल आठ हज़ार से ज़्यादा धनी लोग भारत छोड़ विदेशों में बस जाएंगे। भारत में कराधान को लेकर सख़्त क़ानूनों और ताकतवर पासपोर्ट पाने की लालसा के चलते देश के ये रईस भारत से विदेशों का रुख करेंगे। ये रईस ऐसे देश में बसना चाहते हैं कि जहां रहन-सहन बेहतर हो। बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ियां हों। जानकारों के अनुसार, भारत में कड़े होते कराधान क़ानून, अमीरों को करों में छूट न मिलने और वीज़ा मुक्त आवागमन की सुविधा की इच्छा के चलते बड़ी तादाद में अमीर भारत छोड़ रहे हैं। उल्लेखनीय है कि दिसंबर 2021 में लोकसभा में एक सवाल के जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया था कि एक जनवरी 2015 से 21 सितंबर 2021 के बीच आठ लाख 81 हजार 254 लोगों ने अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ दी थी। राय ने संसद को बताया था कि विदेश मंत्रालय के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, एक करोड़ 33 लाख 83 हज़ार 718 भारतीय विदेशों में रह रहे हैं। जानकारों का कहना है कि जब अमीर भारत छोड़कर विदेशों में बसेंगे तो वहां कारोबार करेंगे, नया निवेश करेंगे। इससे भारत की जगह वे विदेशों में रोज़गार देंगे। यह हमारी अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संकेत नहीं हैं।

# वायु प्रदूषण : पांच साल घटी भारतीयों की औसत उम्र

अमेरिका की शिकागो यूनिवर्सिटी ने बीते हफ्ते जारी अपने सालाना 'एअर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स' में कहा कि भारत में दूषित हवा से लोगों की उम्र औसतन पांच साल घट गई है। पूरी दुनिया में यह आंकड़ा 2.2 साल है। बांग्लादेश के बाद भारत दुनिया का सबसे प्रदूषित देश है। दुनिया भर में वायु प्रदूषण का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की पूरी 1.3 अरब आबादी प्रदूषित हवा में सांस ले रही है। वहीं 63 फीसद लोग ऐसे हैं, जो बेहद ख़तरनाक वायु प्रदूषण का शिकार बन रहे हैं। पूरे देश में हवा का स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) के सुझाए स्तर से काफी ख़राब है।



रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तर भारत के लोगों की उम्र 7.6 साल तक घट सकती है। दिल्ली के लोगों की उम्र 10 साल घट गई है। इंडेक्स के मुताबिक दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है।



# पापी पेट

कहानी



सुभद्रा कुमारी चौहान

*(1)*

आज सभा में लाठी चार्ज हुआ। प्रायः पांच हज़ार निहत्थे और शान्त मनुष्यों पर पुलिस के पचास जवान लोहबन्द लाठियां लिये हुए टूट पड़े। लोग अपनी जान बचाकर भागे, पर भागते-भागते भी प्रायः पांच सौ आदमियों को सख्त चोटें आई और तीन तो बेहोश होकर सभा-स्थल में ही गिर पड़े। तीन, चार प्रमुख व्यक्ति गिरफ़्तार करके जेल भेज दिए गए।

पुलिस ने झंडे के विशाल खम्भे को काटकर गिरा दिया और आग लगा दी। तिरंगा झंडा फाड़ कर पैरों तले रौंद डाला गया। सबके हृदय में सरकार की सत्ता का आतंक छा गया।

प्रकट रूप से विजय पुलिस की ही हुई। उनके सामने सभी लोग भागते हुए नज़र आए। और यदि किसी ने अपनी जगह पर खड़े रहने का साहस दिखलाया तो वह लाठियों की मार से धराशायी कर दिया गया। परन्तु इस विजय के होते हुए भी उनके चेहरों पर विजय का उल्लास नहीं था, प्रत्युत ग्लानि ही छाई थी। उनकी चाल में आनन्द का हल्कापन न था, बरन ऐसा मालूम होता था कि जैसे पैर मन-मन भर के हो रहे हों। हृदय उछल नहीं रहा था बरन एक प्रकार से दबा-सा जा रहा था।

पुलिस लाइन में पहुंचकर सिपाही लाठी चार्ज की चर्चा करने लगे। सभी को लाठी चार्ज करने, निहत्थे निरपराध व्यक्तियों पर हाथ चलाने का अफ़सोस हो रहा था। राम खिलावन ने अपनी कोठरी में जाकर अन्दर से दरवाज़ा लगा लिया और लाठी को चूल्हे में जला दी। उसकी लाठी के वार से एक सुकुमार बालक की खोपड़ी फट गई थी।

उसने मन में कहा बिचारे निहत्थे और निरपराधों को कुत्तों की तरह लाठी से मारना, राम राम यह हत्या! किसके लिए? पेट के लिए? इस पापी पेट का तो जानवर भी भर लेता है। फिर हम आदमी होकर इतना पाप क्यों करें? इस बीस रुपल्ली के लिए यह कसाईपन? न, अब तो यह न हो सकेगा। जिस परमात्मा ने पेट दिया है वह अन्न भी देगा। लानत है ऐसी नौकरी पर; और दूसरे दिन नौकरी से इस्तीफ़ा देकर अपने देश को चला गया।

*(2)*

थानेदार बरक़तउल्ला लाठी चार्ज के समय चिल्ला-चिल्लाकर हुक्म दे रहे थे 'मारो सालों को', 'आए हैं स्वराज लेने', 'लगे ख़ूब कस कसके'। परन्तु अपने क्वॉर्टर्स में पहुंचते-पहुंचते उनका जोश ठंडा पड़ गया। वे ज़बान के ख़राब अवश्य थे पर हृदय के उतने ख़राब न थे। दरवाज़े के अन्दर पैर रखते ही उनकी बीवी ने कहा-'देखो तो यह ग़फ़ूर कैसा फूट-फूटकर रो रहा है। क्या किया है आज तुमने? बार-बार पूछने पर भी यही कहता है कि 'अब्बा ने गोपू को जान से मार डाला है', मेरी तो समझ में ही नहीं आता कि क्या हुआ?'

सुनते ही थानेदार साहब सर थामकर बैठ गए। गोपाल बहुत सीधा और प्रेमी लड़का था। थानेदार का लड़का और गोपाल एक ही कक्षा में पढ़ते थे और दोनों में ख़ूब दोस्ती थी। थानेदार और उनकी बीबी दोनों ही गोपाल को अपने लड़के की ही तरह प्यार करते थे। थानेदार को बड़ा अफ़सोस हुआ, बोले "आग लगे ऐसी नौकरी में। गिरानी का ज़माना है वरना मैं तो इस्तीफ़ा देकर चल देता। पर करें तो क्या करें? घर में बीवी-बच्चे हैं, बूढ़ी मां है, इनका निर्वाह कैसे हो? नौकरी बुरी ज़रूर है पर पेट का सवाल उससे भी बुरा है। आज 60 रुपये माहवार मिलते हैं, नौकरी छोड़ने पर कोई बीस रुपल्ली को भी न पूछेगा, पापी पेट के लिए नौकरी तो करनी ही पड़ेगी, पर हां इस हाय-हत्या से बचने का एक उपाय है। तीन महीने की मेरी छुट्टी बाक़ी है। तीन महीने बहुत होते हैं। तब तक यह तूफ़ान निकल ही जायगा। यह सोचकर उसने छुट्टी की दरख़्वास्त दूसरे ही दिन दे दी।

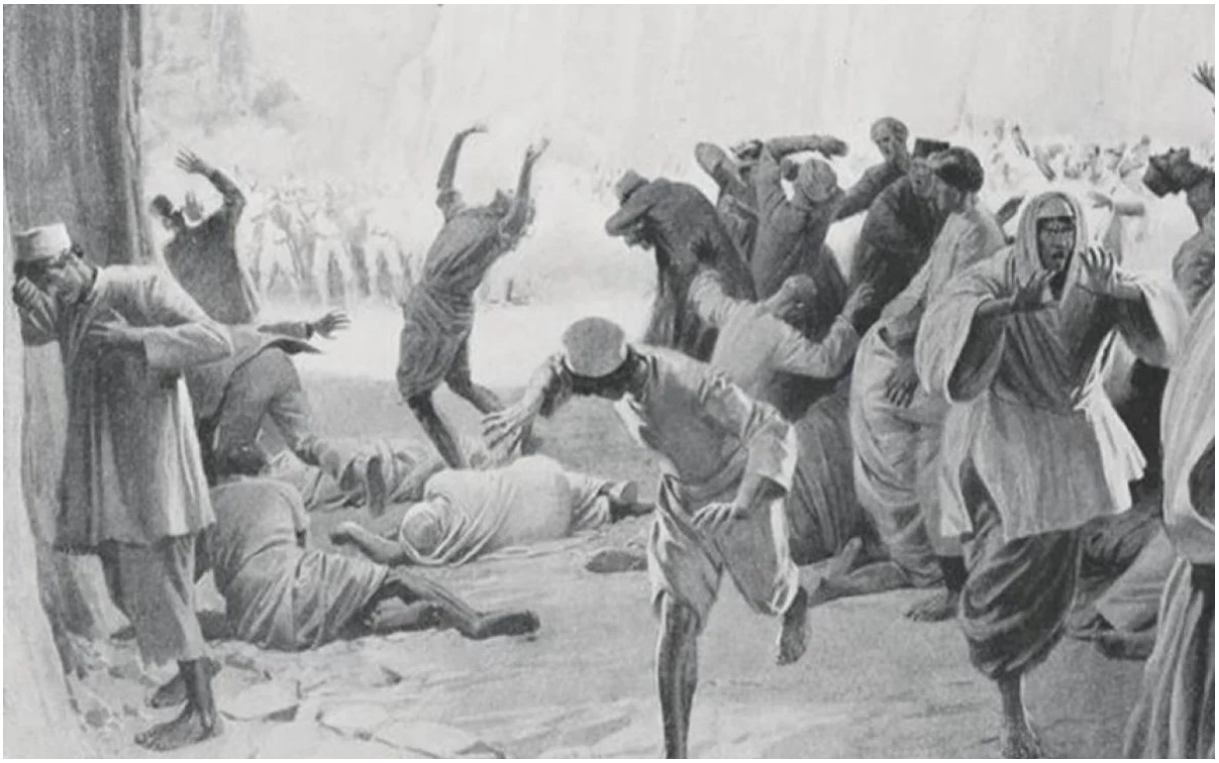
*(3)*

उधर कोतवाल बख्तावर सिंह का बुरा हाल था। मारे रंज के उनका सिर दुखने लगा था। बख्तावर सिंह राजपूत थे। उन्होंने टॉड का राजस्थान पढ़ा था। राजपूतों की वीरता की फड़काने-वाली कहानियां उन्हें याद थीं। चित्तौड़ के जौहर, जयमल और फत्ता के आत्म-बलिदान, और राणा प्रताप की बहादुरी के चित्र उनके दिमाग़ में रह-रह के चमक उठते थे। सोचते थे कि मैं समस्त राजपूत जाति की वीरता का वारिस हूं। उनका सदियों का इकठ्ठा किया हुआ गौरव मुझे प्राप्त है। मेरे पूर्वजों ने कभी निहत्थों पर शस्त्र नहीं चलाए, किन्तु मैंने आज यह क्या कर डाला? ऐसे मारने से तो मर जाना अच्छा। पर पापी पेट जो न करावे सो थोड़ा।

**लाठी चार्ज का हुक्म देने के बाद ही मजिस्ट्रेट राय साहेब कुन्दनलाल जी को बड़े साहब का एक अर्जेन्ट रुक्का मिला। साहब ने उन्हें फ़ौरन बंगले पर बुलाया था। इधर लाठी चार्ज हो ही रहा था कि उधर वे मोटर पर सवार हो बड़े साहब के बंगले पहुंचे। काम की बातों के समाप्त हो जाने पर, उन्हें लाठी चार्ज कराने के लिए धन्यवाद देते हुए बड़े साहब ने इस बात का भी आश्वासन दिया कि राय बहादुरी के लिए उनकी शिफ़ारिस अवश्य की जाएगी।**

इसी संकल्प-विकल्प में पड़कर उन्होंने रात को भोजन भी नहीं किया। आखिर भोजन करते भी तो कैसे? उस घायल बच्चे का रक्तरंजित कोमल शरीर, उसकी सकरुण चीत्कार और उसकी हृदय को पिघला देने वाली बेधक दृष्टि का चित्र उनकी आंखों के सामने रह-रहकर खिंच जाता था। उसकी याद उनके हृदय को टुकड़े-टुकड़े किए डालती थी। इस प्रकार दुखते हुए हृदय को दबाकर वे कब सो गए, कौन जाने?

सवेरे उठने पर उन्हें याद आई कि कल ही जो उन्हें तनख़ाह के तीन सौ रुपये मिले थे उसे वे कोट की जेब में ही रखकर सो गए थे। कहीं किसी ने निकाल न लिये हों इस ख़्याल से झटपट उन्होंने कोट की जेब में हाथ डाला और नोट निकाल कर गिनने लगे। एक-एक करके गिने, सौ-सौ के तीन नोट थे। उन पर सम्राट की तस्वीर बनी थी और गवर्नमेन्ट की तरफ़ से किसी के हस्ताक्षर पर यह लिखा था कि "मैं मांगते ही एक सौ रुपया देने का वायदा करता हूं" रुक्का इन्दुल तलब प्रॉमिसरी नोट-मांगते ही एक सौ रुपये! इसी प्रकार एक, दो, तीन, एक ही महीने में तीन सौ!! एक वर्ष में छत्तीस सौ, तीन हजार छै सौ; तीस वर्ष में एक लाख आठ हज़ार, हर साल तरक़्क़ी मिलेगी, फिर तीस साल के बाद पेन्शन और ऊपर से!! इसी उधेड़-बुन में थे कि इतने ही में टेलीफ़ोन की घंटी बजी। वह चट से टेलीफ़ोन के पास गए बोले "हल्लो", उधर से आवाज़ आई "डीएसपी और आप कौन हैं?' इन्होंने कहा 'शहर कोतवाल का अधिकार पूर्ण शब्द उनके कानों में गूंज गया।



उधर से फिर आवाज़ आई 'अच्छा तो कोतवाल साहब! आज 11 बजे जेल के भीतर कल के गिरफ़्तार-शुदा क़ैदियों का मुक़दमा होगा। उसमें आपकी गवाही होगी। आप ठीक 11 बजे जेल पर पहुंच जाइये।' कोतवाल साहब ने कहा, 'बहुत अच्छा।'

अब कोतवाल साहब अपने दफ़्तर के काम में लग गए। ऑफ़िस में पहुंचते ही उनका रोज़ की ही तरह कुड़-कुड़ाना शुरू हो गया। कोतवाली में काम बहुत रहता है, बड़ा शहर है दिन भर काम करते-करते पिसे जाते हैं। एड़ी-चोटी का पसीना एक हो जाता है। खाने तक की फ़ुरसत नहीं मिलती। चौबीसों घंटे ग़ुलामी बजानी पड़ती है, तब कहीं तीन सौ रुपल्ली मिलते हैं। तीन सौ में होता ही क्या है? आजकल तो पांच सौ से कम में कोई इज़्ज़तदार आदमी रह ही नहीं सकता। इसी के लिए झूठ, सच, अन्याय, अत्याचार क्या-क्या नहीं करना पड़ता है पर उपाय भी तो कुछ नहीं है। इस छै फिट के शरीर को क़ायम रखने के लिए पेट में तो कुछ झोंकना ही पड़ेगा। क्या ही अच्छा होता यदि भगवान पेट न बनाता।' इन्हीं विचारों में समय हो गया और कोतवाल साहब ठीक 11 बजे गवाही देने के लिए जेल को चल दिए।

(4)

लाठी चार्ज का हुक्म देने के बाद ही मजिस्ट्रेट राय साहेब कुन्दनलाल जी को बड़े साहब का एक अर्जेन्ट रुक्का मिला। साहब ने उन्हें फ़ौरन बंगले पर बुलाया था। इधर लाठी चार्ज हो ही रहा था कि उधर वे मोटर पर सवार हो बड़े साहब के बंगले पहुंचे। काम की बातों के समाप्त हो जाने पर, उन्हें लाठी चार्ज कराने के लिए धन्यवाद देते हुए बड़े साहब ने इस बात का भी आश्वासन दिया कि राय बहादुरी के लिए उनकी शिफ़ारिस अवश्य की जाएगी। बड़े साहब का उपकार मानते हुए राय साहब कुन्दनलाल अपने बंगले लौटे। उन निहत्थों पर लाठी चलवाने के कारण उनकी आत्मा उन्हीं को कोस रही थी। हृदय कहता था कि यह बुरा किया। लाठी चार्ज बिना करवाए भी तो काम चल सकता था। आख़िर सभा हो ही जाती तो अमन में क्या खलल पड़ जाता? वे लोग सभा में किसी से मारपीट करने तो आए न थे। फिर मैंने ही उन्हें लाठी से पिटवा कर कौन-सा भला काम कर डाला? किन्तु दिमाग़ ने उसी समय रोक कर कहा-'यहां भले-बुरे का सवाल नहीं है, तुमने तो अपना कर्तव्य पालन किया है। स्वयं भगवान कृष्ण ने कर्तव्य के लिए निकट सम्बन्धियों तक को मारने का उपदेश अर्जुन को दिया था। फिर तुम्हारा कर्तव्य क्या है? अपने अफ़सर की आज्ञा का पालन करना। आतंक जमाने के लिए लाठीचार्ज कराने का तुम्हें हुक्म था। तुम सरकार का नमक खाते हो, उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। आज्ञा मिलने

पर उचित-अनुचित का विचार करने की ज़रूरत ही नहीं। स्वयं धर्म-नीति के ज्ञाता पितामह भीष्म ने दुर्योधन का नमक खाने के ही कारण, अर्जुन का पक्ष सत्य होते हुए भी दुर्योधन का ही साथ दिया था। इसी प्रकार तुम्हें भी अपना कर्तव्य करना चाहिए, नतीजा बुरा हो चाहे भला।'

पर फिर उनके हृदय ने काटा, 'न जाने कितने निरपराधियों के सिर फूटे होंगे?' दिमाग़ ने कहा, 'फूटने दो।' जब तक सरकार की नौकरी करते हो, तब तक तुम्हें उसकी आज्ञा का पालन करना ही पड़ेगा, और यदि आज्ञा का पालन नहीं कर सकते हो तो ईमानदारी इसी में है कि नौकरी छोड़ दो। माना कि आख़िर ये लोग स्वराज्य के लिए ही झगड़ रहे हैं। उनका काम परमार्थ का है; सभी के भले के लिए है, पर किया क्या जाए? नौकरी छोड़ दी जाए तो इस पापी पेट के लिए भी तो कुछ चाहिए? हमारे मन में क्या देश-प्रेम नहीं है? पर खाली पेट देश-प्रेम नहीं हो सकता। आज नौकरी छोड़ दें तो क्या स्वराज्य वाले मुझे 600 रु। दे देंगे? हमारे पीछे भी तो गृहस्थी लगी है, बाल-बच्चों का पेट तो पालना ही होगा।' इसी प्रकार सोचते हुए वे अपने बंगले पहुंचे।

घर पहुंचने पर मालूम हुआ कि पत्नी अस्पताल गयी है। लाठीकाण्ड में लड़के का सिर फट गया है। उनका कलेजा बड़े वेग से धड़क उठा। उनका एक ही लड़का था। तुरंत ही मोटर बढ़ायी, अस्पताल जा पहुंचे। देखा कि उनकी स्त्री गोपू को गोद में लिए बैठी आंसू बहा रही है। गोपू के सिर में पट्टी बंधी है और आंखें बंद हैं। उन्हें देखते ही पत्नी ने पीड़ा और तिरस्कार के स्वर में कहा,'यह है तुम्हारे लाठीचार्ज का नतीजा।'उनका गला रुंध गया और आंसू भी वेग से बह चले। राय साहब कुन्दनलाल के मुंह से एक शब्द भी न निकला। इतने ही में डॉक्टर ने आकर उन्हें सांत्वना देते हुए कहा,'कोई ख़तरे की बात नहीं है। घाव गहरा ज़रूर है पर इससे भी गहरे-गहरे घाव भी अच्छे हो जाते हैं, आप चिंता न कीजिए।'

राय साहब ने पत्नी से पूछा-'आख़िर तुमने इसे वहां जाने ही क्यों दिया?'

पत्नी ने कहा-'तो मुझसे पूछ के ही तो वहां गया था न?'

रात भर गोपू बेहोश रहा और दूसरे दिन भी बेहोशी दूर न हुई। दूसरे दिन 11 बजे दिन से जेल में मुक़दमा होने वाला था।

कोतवाल और राय साहब कुन्दनलाल की गवाही हो जाने पर अभियुक्तों में से एक दो साल की सख़्त क़ैद और 2000) जुरमाना, दूसरे को डेढ़ साल की सख़्त क़ैद और 1500) जुरमाना, तीसरे को एक साल की सख़्त क़ैद और 500) जुरमाना की सज़ा दे दी गयी। अभियुक्तों ने मुक़दमों में किसी प्रकार का भाग नहीं लिया और न पेशी ही बढ़वायी, इसलिए मुक़दमा क़रीब एक घंटे में ही समाप्त हो गया।

तीनों अभियुक्त प्रतिष्ठित सज्जन थे और राय साहब की जान-पहिचान के थे। मुक़दमा ख़त्म हो जाने पर राय साहब ने उनसे माफ़ी मांगते हुए कहा, 'क्षमा करना भाई, इस पापी पेट के कारण लाचार हैं, वरना क्या हमारे दिल में देश-प्रेम नहीं है? यह कहकर उन्होंने अपनी आत्मा को संतोष दे डाला और जल्दी-जल्दी अस्पताल आए। गोपू की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो गयी थी। उसकी नाड़ी क्षीण पड़ती जा रही थी। राय साहब के पहुंचने पर उसने पहिली ही बार आंखें खोलीं। उसके मुंह पर हलकी-सी मुस्कराहट थी। धीमी आवाज़ से उसने कहा, 'म' के साथ ही उसका मुंह खुला रह गया, और आंखें सदा के लिए बंद हो गयीं। उसकी माता चीख मारकर लाश पर गिर पड़ी। राय साहब के शून्य हृदय में बार-बार प्रश्न उठ रहा था, 'यह सब किसके लिए?' और मस्तिष्क से प्रतिध्वनि उसका उत्तर दे रही थी-'पापी पेट के लिए।'

■■

**"जब तुम्हें अच्छे काम से प्रसन्नता हो और बुरे काम से दुख और क्षोभ हो तो तुम मोमिन हो।"**

**(हदीस : मुस्नद अहमद)**

**ALTAF AHMAD**

**ANDHERI, MUMBAI**



# प्रत्यक्ष और प्रमाण

आख़िरी पन्ना



मुहम्मद इक़बाल मुल्ला

ईश्वर का इन्कार करने वाले प्रत्येक काल में कम ही रहे हैं। अधिकतर धर्मों में ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, परन्तु विभिन्न धर्मों में उसकी कल्पना समान नहीं है। बल्कि कई दृष्टि से भिन्न-भिन्न है। कुछ लोगों की ओर से ईश्वर का इन्कार करने के सम्बंध में एक तर्क दिया जाता है कि वह हमें दिखाई नहीं पड़ता परन्तु यह तर्क बहुत कमज़ोर है। क्योंकि ईश्वर को मानने के लिए उसको देखना शर्त नहीं है। हम कितनी ही ऐसी वस्तुओं को मानते हैं जिन्हें खुली आंखों से नहीं देखते।

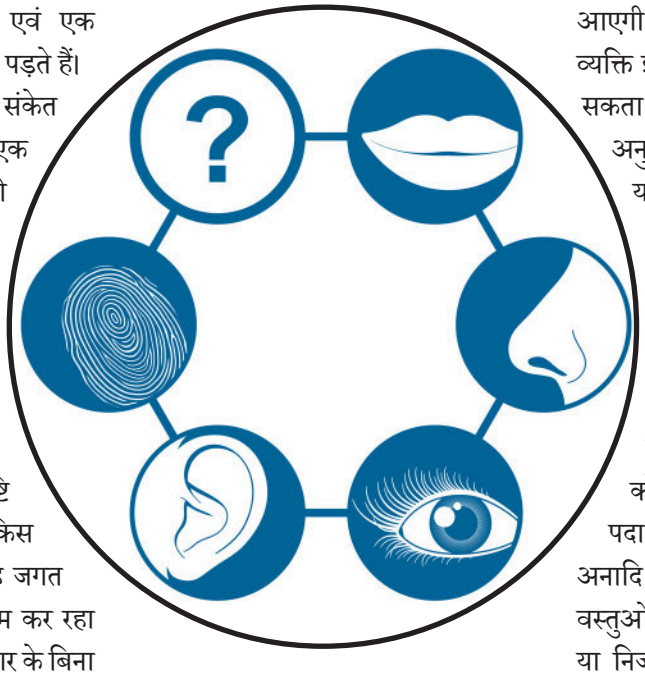
इस सम्बंध में समझना चाहिए कि ईश्वर को इस जीवन में देखना हमारी कोई आवश्यकता नहीं और न हमें इससे कोई लाभ प्राप्त होगा। आवश्यकता तो ईश्वर के मार्गदर्शन प्राप्ति की है। क़ुरआन में कहा गया है कि ईश्वर पृथ्वी एवं आकाश की ज्योति है। ईश्वर अपने बन्दों पर अत्यन्त दयावान है कि उसने अपने परिचय का मार्ग दिखाया और अपने गुणों का परिचय ईशदूतों के माध्यम से मानव को प्रदान किया और गुणों में व्यावहारिक तक़ाज़े बताए। जीवन पर उनके प्रभावों को बताया। ईश्वर की उपासना करने और जीवन में उसे याद रखने के समस्त तरीक़े इन्सानों को बता दिये। ईशदूतों की ज़िम्मेदारी थी कि वह उन बातों पर चलकर इन्सानों के लिए अपने जीवन का उदाहरण प्रस्तुत करें।

वास्तविकता तो यह है कि हर वह व्यक्ति जो देखने वाली आंख और सोचने वाला दिमाग़ रखता हो, इस जगत की वास्तविकताओं को देखकर यकायक पुकार उठता है कि यह संसार एक तत्वदर्शी और बुद्धिमान शासक के बग़ैर न तो अस्तित्व में आ सकता था और न स्थापित रह सकता है। पृथ्वी से लेकर आकाश तक सम्पूर्ण जगत एक पूर्ण व्यवस्था है और यह संपूर्ण व्यवस्था एक क़ानून के अन्तर्गत चल रही है, जिसमें हर तरफ़ एक सर्वव्यापी राज्य, एक दोषरहित तत्वदर्शिता एवं एक सच्चे ज्ञान के आसार दिखाई पड़ते हैं।

ये आसार इस बात का संकेत देते हैं कि इस व्यवस्था का एक संचालक है व्यवस्था की कल्पना एक व्यवस्थापक के बिना, शासन की कल्पना एक शासक के बिना, तत्वदर्शिता की कल्पना तत्वदर्शी के बग़ैर और ज्ञान की कल्पना एक ज्ञानी के बिना और सबसे बढ़कर सृष्टि की कल्पना सृष्टा के बिना किस प्रकार की जा सकती है। यह जगत एक योजना के अन्तर्गत काम कर रहा है। क्या यह योजना, योजनाकार के बिना ही चल रही है? इस जगत में अन्तिम सीमा तक सुन्दरता एक सन्तुलन है। यह सुन्दरता और संतुलन एक प्रबंधक के बिना कैसे सम्भव है?

यदि हम ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करें और जगत का जन्म पदार्थ को बताएं तो मानवीय एवं हैवानी अस्तित्व की व्याख्या बड़ी कठिन नज़र आती हैं। सरसरी तौर पर बड़ी सरलता से कहा जा सकता है कि विभिन्न अंश एक अनुपात से मिले और जानवर अथवा इन्सान अस्तित्व में आ गये, लेकिन आधुनिक वैज्ञानिक उन्नति के आधार पर ऐसी आकस्मिक घटनाओं को स्वीकार करना बड़ा कठिन हो गया है। (यह सम्भव नहीं रहा है)

एक अत्यन्त सुन्दर, सुव्यवस्थित तथा सुदृढ़ ब्रह्मांड यहां मौजूद है। इसमें पृथ्वी से करोड़ों गुना बड़े तारे पाये जाते हैं, ऐसी आकाश गंगाएं हैं जिनमें करोड़ों और अरबों ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। ब्रह्मांड की विशालता का वैज्ञानिक आज तक सही अनुमान नहीं लगा सके। कुछ समय पहले विख्यात



अंग्रेजी पत्रिका रीडर्स डाइजेस्ट ने बड़े आकार में ब्रह्मांड के तारों, ग्रहों और आकाश गंगाओं के चित्रों को प्रकाशित किया था। इसके एक ओर एक बारीक-सा बिन्दु लगाकर उसकी ओर तीर का निशान बनाकर उसके नीचे लिखा था ''one solar system lies somewhere between have'' इस वाक्य को पढ़कर ब्रह्मांड की विशालता एवं विस्तार का अनुमान लगाया जा सकता है। इस प्रकार की विशालता ब्रह्मांड की रचना क्या कोई आकस्मिक घटना हो सकती है?

एक अच्छा-सा शेअर (कविता की दो पंक्ति) हमारे सामने कोई कह दे तो हम पूछते हैं कि यह किस कवि की रचना है? एक अच्छी सी तस्वीर हम देखते हैं तो प्रश्न होता है कि किस कलाकार ने इसको बनाया है? एक सुन्दर महल को देखकर दिमाग़ उसके इंजीनियर और आर्किटेक्ट की ओर जाता है। सम्पूर्ण ब्रह्मांड जिसमें हमारा विशाल संसार भी सम्मिलित है, उसको देखकर उसके सृष्टा और स्वामी की कल्पना नहीं आएगी? क्या कोई सद्बुद्धि रखने वाला व्यक्ति इस प्रकार की बात स्वीकार कर सकता है? यह कितनी अतार्किक एवं अनुचित बात है। यदि कोई कहे कि यह ब्रह्मांड ईश्वर के बग़ैर अस्तित्व में आया है और आपसे आप या संयोगवश चल रहा है।

ईश्वर का इन्कार करने वालों का एक तर्क यह भी है कि ब्रह्मांड और मानव जीवन की उत्पत्ति में किसी सृष्टा का कोई हस्तक्षेप नहीं है, क्योंकि पदार्थ ही मूल तत्व है और यह अनादि और अनंत है। इसी से समस्त वस्तुओं का, चाहे वह जीवधारी हों या निर्जीव, अस्तित्व हुआ है। पदार्थ की बुनियाद कणों पर है। इन्हीं कणों के संयोगवश मिल जाने से हर वस्तु अस्तित्व में आई है। यहां तक कि इन बेजान कणों के संयोगवश मिलान के फलस्वरूप मानव की भी रचना हुई है। इस विचारधारा के मानने वालों को नास्तिक या भौतिकवादी कहा जा सकता है।

आधुनिक युग के वैज्ञानिक अविष्कारों के प्रकाश में इस विचारधारा की वास्तविकता एवं तार्किकता पर विचार किया जा सकता है। यह

**ईश्वर का इन्कार करने वालों का एक तर्क यह भी है कि ब्रह्मांड और मानव जीवन की उत्पत्ति में किसी सृष्टा का कोई हस्तक्षेप नहीं है, क्योंकि पदार्थ ही मूल तत्व है और यह अनादि और अनंत है। इसी से समस्त वस्तुओं का, चाहे वह जीवधारी हों या निर्जीव, अस्तित्व हुआ है। पदार्थ की बुनियाद कणों पर है। इन्हीं कणों के संयोगवश मिल जाने से हर वस्तु अस्तित्व में आई है।**

विचारधारा मात्र एक दावा है जो तर्कहीन, अवैज्ञानिक और अतार्किक है। इसकी हैसियत एकमात्र कल्पना से बढ़ कर कुछ नहीं है। आधुनिक वैज्ञानिक शोध कार्यों ने इस दावे की धज्जियां बिखेर दी हैं। आज के विज्ञान का पूरा रुझान यह है कि पदार्थ अनादि और अनन्त नहीं है। इसलिए कि ब्रह्मांड की नियमानुसार शुरुआत हुई है। इस सम्बंध में 'Big Bang' के सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड धीरे-धीरे अपने अन्त एवं समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। दूसरी कल्पना यह कि दो शताब्दी पूर्व समझा जाता था कि कण समाप्त नहीं होते। वैज्ञानिक शोध के परिणामस्वरूप यह विचार ग़लत साबित हो चुका है। अब कणों के स्वरूप में परिवर्तन का कार्य होता है। ऊर्जाएं बाहर निकलती हैं, बल्कि कण भी नष्ट हो जाते हैं। तीसरी कल्पना यह है कि निर्जीव पदार्थ से जीवन, बुद्धि एवं विवेक, अस्तित्व में आते हैं, लेकिन ऐसा भी होता है कि निर्जीव पदार्थों का मिश्रण देखने में तो बना रहता है परन्तु नष्ट हो जाता है। नास्तिक इसकी कोई व्याख्या नहीं कर सकते।



चौथी कल्पना यह है कि संयोगवश कणों के मिलान से ही ब्रह्मांड और इसके अस्तित्व की रचना हुई है, परन्तु गणित के अनुसार और संयोग की सम्भावना इतनी कम है कि संयोगवश जगत की रचना अत्यन्त विवेकहीन प्रतीत होती है। इस संक्षिप्त विश्लेषण के बाद यह परिणाम सामने आता है कि ईश्वर का अस्तित्व निश्चित है और उसे मानना हमारे जीवन के लिए परम आवश्यक है। यह बात भी स्पष्ट है कि उसके बारे में सही जानकारी की प्राप्ति और उसकी पहचान से इन्सान की सीमित बुद्धि, दर्शन तथा विज्ञान विवश है। इस मौलिक ज्ञान के लिए ईश्वर ने ईशदूतों का सिलसिला प्रारम्भ किया। अन्तिम ईशदूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) पर आज से साढ़े चौदह सौ वर्ष पूर्व वही (प्रकाशना) के द्वारा क़ुरआन अवतरित किया गया। क़ुरआन में ईश्वर का सही परिचय कराया गया है। उसके अस्तित्व एवं गुणों को बताया गया है।

इन्सान अपने जन्म और अपने अस्तित्व पर ग़ौर करे और जगत की वास्तविकता पर विचार करे तो उसे अनगिनत निशानियां मिलेंगी जिन्हें देखकर वह यकायक पुकार उठेगा कि वास्तव में एक ईश्वर ही सबका सृष्टा और स्वामी है। इन निशानियों के विवरण के लिए क़ुरआन का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। विभिन्न भाषाओं में क़ुरआन के अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं और सरलता से प्राप्त भी हो सकते हैं।

■■

# Citymaker

BUILDERS PVT.LTD

55, Maruti Lane, Near Handloom House,
Fort, Mumbai-400 001, Ph. : 22661438, 22675328

**KANTI** Monthly, New Delhi
**AUGUST 2022**
Posted on 20-21 July 2022
Published on 18 July 2022
Posted Delhi RMS Delhi-110006

**RNI 53372/91**
**DL(S)-05/3147/2021-2023**
**LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT**
**License No. U(SE)-73/2021-2023**
**Total Pages with Cover: 52**

